



nhrc.india@nic.in Feb 19



to cs, me v

**Case No.- 3862/12/36/2022**  
**NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION**  
**(LAW DIVISION)**

\*\*\*

**MANAV ADHIKAR BHAWAN, BLOCK-C,**  
**G.P.O. COMPLEX, INA, NEW DELHI- 110023**

**Fax No.: 011-24651332 Website:**

**www.nhrc.nic.in**

---

**Date : 19/02/2025**

**To,**

**THE CHIEF SECRETARY**  
**GOVT. OF MADHYA PRADESH, BHOPAL,**  
**VALLABH BHAWAN, BHOPAL**  
**MADHYA PRADESH MADHYA PRADESH**  
**462004**

**Email- cs@mp.nic.in**

**Sub : Complaint/Intimation from**

**ASHISH DWIVEDI**  
**R/O 24/252 RAJRATH PRESS DWARKA**  
**NAGAR PIN CODE-486001**  
**REWA , MADHYA PRADESH**  
**486001**  
**Email- ASHISH1706DWIVEDI@GMAIL.COM ,**  
**Mob No- 7223933470**

**Subject: Additional Information Called**

**Subject: Additional Information Called  
for(AIC) -3862/12/36/2022.**

Sir/Madam,

I am directed to say that the matter was considered by the Commission on 19/02/2025 and the Commission has directed as follows.:

1. The instant complaint relates to allegation of abuse of power by police, false implication of the complainant in connivance with accused and failure on part of the Superintendent of Police, District-Rewa, Madhya Pradesh to comply the direction of the Commission dated 26.7.2022 in previously Registered Case No.2301/12/36/2022 on same issue.

2. Pursuant to the directions of the Commission, report dated 25.03.2023 of the Addl. Superintendent of Police, District Rewa, Madhya Pradesh has been submitted by the Superintendent of Police, District Rewa, Madhya Pradesh vide letter dated 31.07.2023. It is reported that there was dispute between complainant and one constable Damodar Tiwari qua payments made/due thereof in respect of certain land deals. For purpose of recovery of same, the said constable colluded with other police officials including SHO of the police station concerned and illegally arrested the complainant u/s 151 Cr.P.C. on 21.06.2022 by misusing the official powers of police and sent him to judicial custody On 22.6.2022. The police officials even tampered with CCTV footage recording so as to delete

police and sent him to judicial custody On 22.6.2022. The police officials even tampered with CCTV footage recording so as to delete the evidences of their illegal acts/misdeeds. A departmental action was initiated against said constable who at present is under suspension. For initiating joint disciplinary proceedings against rest of the police officials, matter has been referred to higher authorities for seeking sanction of same.

3. While taking up the matter on 28.08.2023 the Commission inter-alia observed and directed to issue show cause notice as under-  
*"The Commission has considered the report and observes that there is an admitted lapse on the part of the police official namely constable Damodar Tiwari and others, who colluded with one another and illegally arrested the complainant u/s 151 Cr. P.C. and sent him to judicial custody for mounting pressure on him to refund certain sum of amount pertaining to land deal. The said constable Damodar Tiwari has been suspended by his department and proposal for initiating joint DE against rest of the police officials has also been forwarded to higher up authorities for requisite sanction .*

*The Commission is of view that personal liberty of the complainant was curtailed by the delinquent police officials/public servants by acting in collusion with each other and misusing their official powers and for such illegal act of the public servant which directly violated human rights of the complainant, the state is vicariously liable to compensate the victim.*

*The Commission considers this case to be a fit case for award of compensation, therefore,*

*The Commission is of view that personal liberty of the complainant was curtailed by the delinquent police officials/public servants by acting in collusion with each other and misusing their official powers and for such illegal act of the public servant which directly violated human rights of the complainant, the state is vicariously liable to compensate the victim.*

*The Commission considers this case to be a fit case for award of compensation, therefore, directs its Registry to issue notice u/s 18a(i) of PHR Act, 1993 to the Chief Secretary, Bhopal, Govt. of Madhya Pradesh directing him to show cause within four weeks as to why the Commission should not recommend payment of compensation of Rs.1,50,000/- (Rs. One Lakh Fifty Thousand only) to the victim, whose human rights have been infringed due illegal actions of police personnel. The reply to the show-cause notice is to be submitted within six weeks positively, failing which the Commission would be constrained to presume that the State Government has no objection in grant of said compensation and the Commission will proceed accordingly."*

4. Subsequently, the Commission confirmed its show cause notice vide its proceeding dated 27.12.2023 and recommended to the Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, to make payment and submit compliance report along with proof of payment of monetary compensation of Rs. 1,50,000/- to the victim.

5. Following issuance of reminders dated 14.03.2024 and 13.05.2024, the Commission received a copy of communication dated

4. Subsequently, the Commission confirmed its show cause notice vide its proceeding dated 27.12.2023 and recommended to the Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, to make payment and submit compliance report along with proof of payment of monetary compensation of Rs. 1,50,000/- to the victim.

5. Following issuance of reminders dated 14.03.2024 and 13.05.2024, the Commission received a copy of communication dated 24.05.2024 from the Under Secretary, General Administration Dept., Govt. of Madhya Pradesh, addressed to the Principal Secretary, Home Dept., Govt. of Madhya Pradesh, to submit requisite report as directed by the Commission.

6. The Commission has considered the material placed on record. The Commission vide proceeding dated 28.08.2023 had issued show cause notice and same was confirmed vide its proceeding dated 27.12.2023; however, regrettably, the Commission has not received any response from the Govt. of Madhya Pradesh except interdepartmental communications from the General Administration Dept. It is evident that neither the Home Dept. nor the Police Hqr have gone through the recommendation of the Commission and the Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh also failed to ensure the compliance of the recommendation of the Commission by the respective departments.

7. In such circumstances, let direction be issued to the **Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh**, to make payment and submit compliance report along with proof of payment of compensation of Rs. 1,50,000/-

7. In such circumstances, let direction be issued to the Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, to make payment and submit compliance report along with proof of payment of compensation of Rs. 1,50,000/- to the victim. Response within six weeks falling which the Commission shall be constrained to invoke Section 13 of the Protection of Human Rights Act, 1993, against Chief Secretary, Govt. of Madhya Pradesh, regarding personal appearance before the Commission.

2. It is therefore, requested that the additional/complete report as directed by the Commission in the matter be sent latest by 12/04/2025, for further consideration by the Commission.

3. *Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (<https://hrcnet.nic.in>) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login). Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. may be sent through Speed Post/ per bearer. The reports/ responses sent through email may not be entertained*

Your's faithfully

Sd/-

Brijvir Singh

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

M-4 Section

Ph. No. 011-24663288

3. Any communication by public authorities in this matter may please be sent to the Commission through the HRCNet Portal (<https://hrcnet.nic.in>) by using id and password already provided to the public authorities (click Authority Login). Any Audio/ Video CDs/ pen drives etc. may be sent through Speed Post/ per bearer. The reports/ responses sent through email may not be entertained

Your's faithfully

Sd/-

Brijvir Singh

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

M-4 Section

Ph. No. 011-24663288

CC to

Brijvir Singh

ASSISTANT REGISTRAR (LAW)

M-4 Section

Ph. No. 011-24663288

---

1. This is a system generated email sent using email-id nhrc.india@nic.in. However, this email-id cannot be used to send any communication to the Commission.

2. For latest information about the Commission, visit our website at <https://nhrc.nic.in>.

3. For lodging/ tracking of complaints and uploading of action taken reports by Public Authorities, HRCNet Portal at <https://hrcnet.nic.in> may be visited

सेवा में,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,  
जिला शीवा (म.प्र.)

विषय :- क्षतिपूर्ति राशि को अस्वीकार कर, दोषियों को सजा दिलाने हेतु प्रार्थना-पत्र।  
महोदय,

निवेदन है कि मैं आशीष द्विवेदी पिता श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी उम्र 33 वर्ष निवासी द्वारिका नगर शीवा म.प्र. का रहने वाला हूँ। मेरे द्वारा आपके समक्ष दिनांक 26.06.2022 को जांच करने व दोषियों के ऊपर दण्डात्मक कार्यवाही हेतु शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें मेरे द्वारा बताया गया था कि थाना प्रभारी विछिया द्वारा अपने अन्य सहयोगी/कर्मचारी पुलिस अधिकारी व कर्मचारी द्वारा बिना किसी अपराध व गलती के मेरे साथ अगद्व व्यवहार व भीषण मारपीट की गई एवं मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा/अपराध पंजीबद्ध कर मुझे शीवा जेल भेज दिया गया। और मेरा सामाजिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया गया, जो आपके द्वारा जांच उपरान्त सही व सत्य पाया गया एवं पुलिस विभाग (गृह विभाग) द्वारा आज सूचित किया जा रहा कि मुझे क्षतिपूर्ति राशि दी जा रही है। जो मैं अस्वीकार करता हूँ क्योंकि ऐसे भ्रष्ट व रिश्वतखोर पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा मेरा अत्याधिक शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक शोषण किया गया एवं मेरे द्वारा शिकायत कर न्याय मांगने पर पुनः प्रताड़ित व भयगीत किया जाता रहा है। इस कारण मेरे द्वारा क्षतिपूर्ति राशि को अस्वीकार किया जा रहा है एवं श्रीमान् जी से विनम्र आग्रह किया जा रहा है कि दोषियों व ऐसे भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की जाय जिससे जिससे पुनः कोई बेगुनाह इस तरह पीड़ित न हों।

अस्तु निवेदन है कि मुझे क्षतिपूर्ति राशि न देकर ऐसे दोषियों को सजा देकर मुझे न्याय दिलाने की कृपा की जाय।

दिनांक- 10.05.2025

पीड़ित/प्रार्थी

आशीष द्विवेदी 10/05/25

पिता श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी  
निवासी द्वारिका नगर शीवा म.प्र.

मो.नं. 7223933470

11/No. 11332/22

कार्यालय धाना प्रभारी थाना चित्तिया जिला रीवा

कार्यालय धाना प्रभारी थाना चित्तिया जिला रीवा

दिनांक 23/06/22



कार्यालय धाना प्रभारी थाना चित्तिया जिला रीवा(म0प्र0)

दिनांक 23/06/22

श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय  
प्रथम प्रणी न्यायालय रीवा

विषय आवेदक आशीष द्विवेदी पिता रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी उम्र 23 साल नि. द्वारिका नगर धाना समान जिला रीवा (म0प्र0) के संबंध में प्रतिवेदन वावला

संदर्भ माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 22/06/22 के पालन में।



सहोदर

निवेदन है कि आरोपी आशीष द्विवेदी पिता रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी उम्र 23 साल नि. द्वारिका नगर धाना समान जिला रीवा (म0प्र0) का एम ए एफ चौराहा रोड पेट्रोल पंप के सामने आम जनता से वाद- विवाद कर रहा था पुलिस के द्वारा समझाने के बावजूद राह से निकलने वालों के साथ वाद विवाद कर रहा था शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एवं आगामी त्रिपंचवर्षीय चुनाव नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी उपरोक्त के विरुद्ध इस्त.क्र. 43/22 धारा 151/107,116(3) जॉफो में गिरफ्तार किया जाकर अनुविभागीय दण्डाधिकारी महोदय हुजूर जिला रीवा के न्यायालय में दिनांक 22/06/22 को पेश किया जा चुका है।

प्रतिवेदन सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

धाना प्रभारी  
थाना चित्तिया जिला रीवा

सत्यमेव जयते  
कार्यालय जिला/थाना प्रभारी  
रीवा, जिला रीवा (म.प्र.)



Email

Central Registry

पुलिस विभाग द्वारा अनुपम कुमार दीपानी बगैरह के साथ साजिश के तहत निर्दोष आशीष द्विवेदी के साथ मारपीट कर झूठे केस लगाकर जेल भेजा गया और सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई इस अपराध की सूचना देने बाबत।

From : ashish1706dwivedi@gmail.com

Mon, Jun 27, 2022 09:48 PM

Subject : पुलिस विभाग द्वारा अनुपम कुमार दीपानी बगैरह के साथ साजिश के तहत निर्दोष आशीष द्विवेदी के साथ मारपीट कर झूठे केस लगाकर जेल भेजा गया और सामाजिक, व्यापारिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई गई , इस अपराध की सूचना देने बाबत।

1-attachment  
N.H.R.C.  
C.R. UNIT  
01 JUL 2022  
Dy. No. 102398  
SB4

To : Central Registry <cr.nhrc@nic.in>

माननीय सचिव महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि, मैं आशीष द्विवेदी पिता श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी उम्र 30 वर्ष निवासी- 24/252 रजरथ प्रेस द्वारिका नगर रीवा

( म. प्र. )पिन कोड- 486001  
मोबाइल नंबर- 7223933470

आपसे निवेदन है कि मैं भारत का नागरिक हूं, एक सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता हूं मेरे रीवा शहर में स्थित धाना बिछिया में पदस्थ धाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर, आर.सुफल कुमार द्विवेदी ,आर. दामोदर प्रसाद तिवारी, सहित अन्य 3 पुलिसकर्मियों द्वारा मेरे साथ अवैध रूप से मारपीट कर ,मेरे ऊपर गलत केस दर्ज कराया गया और मुझे जेल भेजा गया है। मेरे द्वारा सारे दस्तावेज की pdf फाइल बना कर दिए जा रहे हैं, अस्तु माननीय सचिव महोदय जी से विनय करता हूं की आप स्वयं संज्ञान लेते हुए मुझे न्याय दिलाए जिससे मैं भी समाज में सम्मान के रह सकूं धन्यवाद....

प्रार्थी  
आशीष द्विवेदी पिता।

श्री रामेश्वरप्रसाद द्विवेदी उम्र

30 वर्ष

निवासी - 24/252 रजरथ प्रेस द्वारिका नगर  
पिन कोड 486001  
मोबाइल 7223933470


रीवा (म. प्र.)

Ashish AG Land File.pdf  
13 MB



(12)

प्रति,



श्रीमान सुमित्र अश्वी शंभु महोदय

...सेवा, जिला रीता (म.प्र.)

बिषय :- प्रार्थी को थाना नईगढ़ी पूछ ताछ के लिये बुलाकर लाकप मे बंद कर पुलिस द्वारा बिरोधियो के दवाव मे आकर गंभीर मारपीट करने व गाली गलौज एवं बिरोध करने पर गंभीर मामले मे फसाने की धमकी पर कार्यवाही किये जाने वावत।

महोदय

निवेदन है कि प्रार्थी अंशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा पो0बधवा थाना नईगढ़ी जिला रीता म0प्र0 का निवासी है प्रार्थी खेती किसानी का काम करता हूं, प्रार्थी का जमीनी पुश्तैनी बिवाद हिंछ लाल के परिवार से है हिंछ लाल के पुत्र जिला पुलिस बल भोपाल मे आशीष द्विवेदी एस.गंज थाना मे संभवतः पदस्थ है जो भोपाल से थाना नईगढ़ी प्रभारी को अपने असम्यक दवाव मे लेकर झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर दिनांक 29.6.2023 को फोन करके थाना बुलाये तब प्रार्थी शाम 7.30 बजे गया प्रार्थी के थाना जाने पर थाना प्रभारी नईगढ़ी श्री जगदीश सिंह ठाकुर, आरक्षक बीरभद्र सिंह, मीणा व दो अन्य पुलिस कर्मी प्रार्थी को थाना नईगढ़ी के अंदर पहुंचते ही थाना प्रभारी बोले कि तुम्हू अंशू दुवे हो हां कहने पर उक्त सभी लोग मादर चोद बहन चोद की गालियां देते हुये लाकप मे बंद कर प्रार्थी के राड, डंडे व पाइप से काफी मारपीट किये जिस मारपीट से प्रार्थी के बाये-हांथ पखौरा, दोनो तलवो व देखने गुटने के पीछे पीठ व शरीर के अन्य भागो मे काफा चाट आइ प्रार्थी बिरोध करने लगा कि मेरे साथ क्यो मारपीट करते है तो उक्त लोगो द्वारा कहा किया तुम मादर चोद जिला पुलिस बल के मेरे मित्र के

(13)

घर के लोगो को परेशान किये हों इसीलिये ऐसा हाल किया हूं व यदि तू आगे पुनः कही मेरी शिकायत किये तो तुम्हे गांजे मे मामले मे फसाकर जिंदगी बर्बाद कर दूंगा कहते हुये गंभीर मारपीट किये व रात्रि 1.00बजे छोड़ दिये क्योकि उस वक्त गांव मे जानकारी हो जाने से सम्मानित परिवार के लोग व सरांच भी थाना आ गये थे जिनके दवाव के आकर प्रार्थी को छोड़ा गया । प्रार्थी का कोई आपराधिक रिकार्ड नही है व सुबह होने पर प्रार्थी रीवा आया है।

अस्तु श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के साथ थाना नईगढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर आरक्षक वीरभद्र सिंह व मीणा एवं दो अन्य द्वारा की गयी गंभीर मारपीट से आई चोटो का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर दोषियो के विरुद्ध कार्यवाही किया जाकर प्रार्थी को झूठे मामले मे फसने से बचाये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक 30.6.23



प्रार्थी

अंशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम  
जमुहरा पो0बघवा थाना नईगढ़ी जिला रीवा  
म0प्र0मो0नं09981211119

प्रति,

(15)

ANNEXURE P 3

श्रीमान् अति० पुलिस महानिदेश महोदय

रीवा जोन रीवा (म०प्र०)

विषय- प्रार्थी के साथ पुलिस थाना नईगढी जिला रीवा में हुई मारपीट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैं :-

- 1- यह कि मैं प्रार्थी अशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी उम्र 36 वर्ष का जमुहरा पोस्ट बंधवा, थाना नईगढी जिला रीवा (म०प्र०) का निवासी हूँ। खेती-किसानी का काम करता हूँ।
- 2- यह कि मेरे चाचा श्री हिन्छलाल द्विवेदी हैं जिनका मेरे घर से कुछ दिनों पूर्व विवाद है श्री हिन्छलाल के पुत्र श्री आशीष द्विवेदी जिला पुलिस बल अंतर्गत पुलिस थाना जहांगीराबाद में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। उसी के कारण झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है।
- 3- यह कि मेरे चाचा श्री हिन्छलाल द्विवेदी के शिकायती आवेदन पर नईगढी पुलिस ने मुझे दिनांक 29.06.2023 को बुलाया मैं शाम लगभग 07:00 बजे पुलिस थाना नईगढी जिला रीवा पहुंचा।
- 4- यह कि मेरे पहुंचते ही थाना में उपस्थित थाना प्रभारी श्री जगदीश उर्फ आरक्षक वीरभद्र सिंह, आरक्षक मीणा ने मुझे माँ-बहन की गाली देना शुरू किया बोले अशू द्विवेदी तुम ही हो आशीष द्विवेदी जो एक पुलिस वाला है मेरा मित्र है तुम उनके पिता से दादागीरी करते हो यह बोलते हुए मुझे लांकप में बंद कर दिया गया बंद करने के बाद रॉड, डण्डा, पाइप से मेरे साथ उपरोक्त दोनों लोगों द्वारा मारपीट की गई मेरे शरीर में चोट के निशान थे, मेरे बाएँ हाथ की

अंगुली फैंचर हो गई थी। मुझे गाजा और कोरकस में फंसाने की चमकी हुई क  
रही थी।

- 5- यह कि जानकारी होने पर मेरे गांव के सरपंच सहित कुछ प्रतिष्ठित लोग  
नईगढी थाना पहुंचे इन लोगों ने थाना प्रभारी को सही स्थिति से अवगत कराया  
तब रात 01:00 बजे के लगभग मुझे छोड़ा गया।
- 6- यह कि दिनांक 30.06.2023 को मैं स्वयं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक शीवा के सम्म  
उपस्थित होकर सभी जानकारी से उन्हें अवगत कराया शरीर में चोटों की रिपोर्ट  
थे, अंगुली फैंचर थी राब कुछ श्रीमान् पुलिस अधीक्षक ने देखा और मेरे साथ  
ही थाना प्रभारी नईगढी से बात किया साथ ही साथ मेरे आवेदन पर जल्द से जल्द  
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवा को अधिकृत किया।
- 7- यह कि अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवा ने मुझे ऑफिस में बुलाकर  
लिया मेरे साथ गांव के सरपंच सहित कई लोग थे बयान के पश्चात् मेरे  
मेडिकल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगेच में कराया गया, मेरी मेडिकल रिपोर्ट  
आज दिनांक तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगेच में ही रखी है जस पर  
कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः इस आवेदन पत्र के माध्यम से श्रीमान् जी से अनुरोध है कि मेरी  
शिकायत की सही जांच कराई जाय मेडिकल रिपोर्ट को देख लिया जाय  
थाना प्रभारी एवं आरक्षकों के विरुद्ध उचित कार्यवाही कर मुझे न्याय दिलाने  
कृपा करें।

दिनांक-

प्रार्थी

अशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी  
उम्र 36 वर्ष ग्राम जमुहरा पोस्ट बघवा, थाना  
नईगढी जिला शीवा (म0प्र0)

संलग्न- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक को दिए गए  
आवेदन पत्र दिनांक 30.06.2023 की छायाप्रति।

क्र.पु.अ./रोवा/सू.अ./अन्य/ 90-ब/2023

प्रति,

अशू द्विवेदी पिता धी राधो प्रसाद द्विवेदी  
ग्राम जमुहरा, पोस्ट बंधना, थाना नईगढ़ी जिला रोवा  
मो(0)न(0)- 9981211119

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र प्राप्ति दिनांक 14/08/2023

-000-


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अधो-हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष निम्नलिखित विन्दुओं के अंतर्गत सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी चाही गई है।

विन्दु क्र.-01 एसडीओपी मनगवां द्वारा कराया गया मेडिकल रिपोर्ट, एक्सरे, एसडीओपी मनगवां द्वारा की गई जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति।

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण निम्नानुसार किया जा रहा है।

विन्दु क्र.01में आपके द्वारा चाही गई जानकारी के संबंध में लेख है कि तथ्यात्मक जानकारी संलग्न कर आपको प्रदाय की जा रही है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार.....

  
लोक सूचना अधिकारी  
अति० पुलिस अधीक्षक  
कार्या. पुलिस अधीक्षक  
जिला रोवा

(18)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगवां जिला रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/अनु.अधि.पु./मनगवां/शिका0/ 38, 47 /2023

दिनांक 29.07.2023

प्रति,

पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला रीवा (म0प्र0)

विषय- शिकायत आवेदक अंशू द्विवेदी पिता राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा थाना नईगढी जिला रीवा द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र के संबंध में जांच प्रतिवेदन।

संदर्भ:- आपका शिकायत पत्र क्रमांक/पु.अ./रीवा/सी.पी./एन.ए/190/2023 दिनांक 30.06.2023

एवं शिकायत क्रमांक/190-ए/2023 दिनांक 24.07.2023 के पालन में।

महोदय,

अनुरोध है कि शिकायत आवेदक अंशू द्विवेदी पिता राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा थाना नईगढी जिला रीवा द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि दिनांक 29.06.2023 को थाना नईगढी की पुलिस ने विरोधियों के दबाव में आकर गंभीर मारपीट करने व गाली गलौज करने तथा मना करने पर गंभीर मामले में फसाने की धमकी देने का उल्लेख किया गया है।

शिकायत जांच के दौरान आवेदक अंशू उर्फ अनीश द्विवेदी पिता राघव प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा थाना नईगढी जिला रीवा का कथन लिया गया जिसके द्वारा अपने कथन में बताया कि पड़ोस के हिन्डलाल द्विवेदी के घर से लगा हुआ इसका मकान बना है। दिनांक 28.06.2023 को इसके हिस्से की जमीन में लगे आम फल तोड़ते समय हिन्डलाल द्विवेदी के घर तरफ चले जाने पर आम उठाने के लिये उनके बाड़ी के अन्दर गया तो हिन्डलाल द्विवेदी ने मना कर गाली गलौज करने लगे व बाड़ी का टाटा लगा लिये। फिर हिन्डलाल द्विवेदी ने अपने लड़के आशीष द्विवेदी जो भोपाल में पुलिस में नौकरी करता है। उसे फोन करके बताये कि अंशू द्विवेदी रोज बाड़ी के अन्दर आता है और बाड़ी का नुकसान करता है तथा मारपीट करता है। जबकि इसके द्वारा मारपीट नहीं की गई थी। दिनांक 29.06.2023 के शाम करीबन 07.30 बजे अपने घर में था। तभी थाना प्रभारी नईगढी श्री जगदीश सिंह ठाकुर ने फोन करके थाना बुलाये थे। तब यह थाना गया था, तब थाना प्रभारी ने बोले कि अंशू द्विवेदी को बंद कर दो तथा अश्लील गालिया देने लगे तथा दूसरे कमरे में ले जाकर हाथ घूसा व पाईप से मारपीट कर थाना के मुन्शी के कक्ष में बैठा दिये। कुछ देर बाद थाना प्रभारी ने बोले कि तमहारे खिलाफ शिकायत है तुम हिन्डलाल द्विवेदी व उनके परिवार जनो के साथ गाली गलौज करते हो उसके कुछ देर बाद गांव के सरपंच आये तो उनके साथ घर आ गया था। हिन्डलाल द्विवेदी की झूठी रिपोर्ट पर थाना प्रभारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर एवं आरक्षक बीरभद्र मीणा एवं अन्य पुलिस स्टाफ के साथ मारपीट की करने की बात बताया है।

जांच के दौरान साक्षी अभिशेष कुमार पाण्डेय पिता श्री परमात्माराम पाण्डेय उम्र 19 वर्ष ग्राम जमुहरा थाना नईगढी जिला रीवा का कथन लिया गया जिसने अपने कथन में बताया कि अंशू द्विवेदी का उनके सगे चाचा हिन्डलाल द्विवेदी से हिस्सा बंटनवारा को लेकर काफी दिनों से

जांच के दौरान साक्षी अभिशेष कुमार पाण्डेय पिता श्री परमात्माराम पाण्डेय उम्र 19 वर्ष ग्राम जमुहरा थाना नईगढ़ी जिला रोवा का कथन लिया गया जिसने अपने कथन में बताया कि अंशू द्विवेदी का उनके सगे चाचा हिन्डलाल द्विवेदी से हिस्सा बटनवारा को लेकर काफी दिनों से विवाद चलता है। दिनांक 29.06.2023 को शाम करीबन 05.00 बजे अंशू द्विवेदी का आम का पद हिन्डलाल द्विवेदी के घर के पास में लगा है। जिसके फल को अंशू द्विवेदी एवं उनके लड़के बच्चे बिन रहे थे। उसी दौरान हिन्डलाल द्विवेदी ने अंशू द्विवेदी को अपने टाटा के अन्दर से गाली गलौज कर रहे थे। तब अंशू द्विवेदी वहां से जाकर गांव में पुलिसिया के पास बैठ गये थे। करीबन 08.00 बजे थाना नईगढ़ी पुलिस की गाड़ी से पुलिस वाले आये पुलिसिया के पास में पूछे कि अंशू द्विवेदी कौन है तब अंशू द्विवेदी ने बोल कि मैं ही अंशू द्विवेदी हूँ। फिर पुलिस वालों ने अपनी गाड़ी में बैठाकर थाना नईगढ़ी लेकर चले गये थे। उसके बाद गांव के सरपंच पति प्रदीप द्विवेदी एवं अन्य कई लोग अंशू द्विवेदी को थाना नईगढ़ी छुड़ाने गये थे। रात करीबन 12.00 बजे, अंशू द्विवेदी को थाना नईगढ़ी से छुड़ाकर घर लाये थे। अंशू द्विवेदी के साथ थाना नईगढ़ी की पुलिस ने मारपीट की थी जिसके कारण उनको हाथ के बाह में नील स्याह चोट तथा बाये हाथ की अंगुली में सूजनदार चोट लगी थी। अंशू द्विवेदी ने बताया कि पुलिस वालों ने बोल रहे थे कि इसके जेब में गांजा रख दो गांजा के प्रकरण में फंसा कर जेल भेजने की धमकी दे रहे थे। हिन्डलाल द्विवेदी का लड़का आशीष द्विवेदी भोपाल में आरक्षक के पद पर नौकरी करता है। अंशू द्विवेदी के विरुद्ध अक्सर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर शिकायत करता रहता है। अंशू द्विवेदी के हाथ किस पुलिस वाले ने मारपीट किये हैं इस संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है।

शिकायत जांच के दौरान साक्षी दिलीप कुमार द्विवेदी पिता श्री मुन्ना राम द्विवेदी एवं दिलीप कुमार द्विवेदी पिता श्री मुन्ना राम द्विवेदी दोनों निवासी ग्राम जमुहरा थाना नईगढ़ी जिला रोवा का कथन लिया गया जिनके द्वारा अपने कथन में बताया गया कि अंशू द्विवेदी का उनके सगे चाचा हिन्डलाल द्विवेदी से हिस्सा बटनवारा को लेकर काफी दिनों से विवाद चलता है। दिनांक 29.06.2023 को जानकारी मिली कि अंशू द्विवेदी के खिलाफ हिन्डलाल द्विवेदी ने रिपोर्ट कर दिये थे। जिनमें अंशू द्विवेदी को थाना नईगढ़ी की पुलिस ने पकड़ कर थाना में बैठा ली है। तब अपने गांव के सरपंच पति प्रदीप कुमार द्विवेदी एवं गांव के रोहित दुबे, विवेक पाण्डेय के साथ थाना नईगढ़ी रात करीबन 09-10 बजे गये थे। अंशू द्विवेदी को लाकप के अन्दर बैठाये थे। फिर सरपंच एवं थाना प्रमारी श्री जगदीश सिंह से आपस में बात हुई। उसके थोड़ी देर बाद हिन्डलाल द्विवेदी को फोन के माध्यम से थाना बुलावये तो हिन्डलाल द्विवेदी भी थाना आये। उसके बाद अंशू द्विवेदी एवं हिन्डलाल द्विवेदी का बयान लिये फिर रात करीबन 12.00 बजे अंशू द्विवेदी को छोड़ दिये थे। उस समय अंशू द्विवेदी से पुलिस के द्वारा मारपीट करने के संबंध में नहीं पूछे थे। उनके साथी रोहित द्विवेदी ने बताया कि अंशू द्विवेदी को थाने में बैठा कर पुलिस वालों ने मारपीट किये हैं। अंशू द्विवेदी के साथ किस पुलिस वालों ने मारपीट किये थे। इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अंशू द्विवेदी को मारपीट करने से किस अंग में चोट आई है इसकी कोई जानकारी न होना बताया है।

शिकायत जांच के दौरान साक्षी प्रदीप कुमार द्विवेदी पिता श्री चिन्तामणि द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा थाना नईगढ़ी जिला रोवा का कथन लिया गया जिसने अपने कथन में बताया कि इनकी पत्नी ग्राम पंचायत बंधवा कोठार की सरपंच हैं। अंशू द्विवेदी व हिन्डलाल द्विवेदी सगे चाचा भतीजे हैं जिनका काफी दिनों से थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रंजिस रहती है। दिनांक 29.06.2023 को अपने घर में था। रात करीबन 07.30 बजे गांव के पिपूश द्विवेदी ने फोन से बताया कि अंशू द्विवेदी को थाना नईगढ़ी की

1/1/23

पुलिस थाना लेकर चली गई है। कुछ देर बाद अशू द्विवेदी के घर के सदस्य बताते हैं कि किसी ने कोई झगड़ा विवाद नहीं हुआ है बिना किसी कारण के पुलिस ने उनका थाना बुला कर ले जाया है। करीबन 09:00 बजे अपने पड़ोसी दिनेश द्विवेदी को बुलाकर थाना नईगढ़ी गया तो देखा कि अशू द्विवेदी के चाचा हिन्डलाल द्विवेदी जो भी थाना प्रमारी ने थाना बुला लिया था। उसके बाद अशू द्विवेदी के चाचा जो थाना प्रमारी श्री जगदीश सिंह ने बैठाकर आपसी झगड़ा के सन्धान में प्रयास शुरू करवा दिया था और रहे थे। लेकिन हिन्डलाल द्विवेदी ने पुलिस की बात तथा इन लोगों की बात को नहीं माना था। उसके बाद रात करीबन 12:30 बजे के लगभग अशू द्विवेदी को थाना प्रमारी ने अशू द्विवेदी के घर लेकर घर आ गये थे। अशू द्विवेदी को राण में लेकर घर आते समय अशू द्विवेदी ने बताया कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़कर ले गये थे उनके द्वारा मेरे साथ अशू द्विवेदी ने बताया कि मेरे साथ मारपीट की गई है तब अशू द्विवेदी के बदन को देखा तो उनके हाथ के बाह में चोट लगी थी तथा बाये हाथ की अंगुली में भी चोट लगी थी। तब अशू द्विवेदी को बताया कि उस समय आप थाना में थे तब क्यों नहीं बताये तो इस संबन्ध में कोई बात नहीं बताये तथा यह बात बताई कि जिन पुलिस वालों ने पकड़कर ले गई थी उनके द्वारा तथा थाना प्रमारी के द्वारा मारपीट की गई है। जिन पुलिस वालों ने अशू द्विवेदी के साथ बिना किसी कारण के मारपीट की गई है उनसे इन संबन्ध में पूछताछ किया जावे कि इस तरह का व्यवहार आम जनता के साथ क्यों किया जाता है इन कार्य करने पर पुलिस के उपर आम जनता का भरोसा न होना की बात बताया है।

जांच निष्कर्ष:-

जांच के दौरान आवेदक अशू द्विवेदी उर्फ अनीश द्विवेदी पिता राघव प्रसाद द्विवेदी निवासी जमुहरा थाना नईगढ़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर मेडिकल फार्म भरकर दिनांक 01/07/2023 को सी.एच.सी.मनगवों से मेडिकल परीक्षण कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में मेडिकलकर्ता डॉक्टर के द्वारा आवेदक को आई चोटों के संबन्ध में बाये हाथ के बाह में कोई चोट न होना व बाये हाथ की अंगुली में मोथले औजार की साधारण प्रकृति की चोट आना लेख किया गया है।

आवेदक अशू उर्फ अनीश द्विवेदी ने अपने कथन व आवेदन पत्र में थाना प्रमारी के द्वारा फोन से बुलाने पर थाना जाने की बात बताते हुए थाना प्रमारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर एड वरिष्ठ वीरमद्र मीणा तथा अन्य पुलिस स्टाफ के द्वारा पाईप व राड से मारपीट की जाकर थाना के मुन्गी के कक्ष में बैठाने की बात बताया है। लेकिन साक्षियों के द्वारा आवेदक को थाना नईगढ़ी से पुलिस ने गांव की पुलिया पर बैठे थे। जहाँ से पकड़ कर थाना ले जाने व थाना में मारपीट करने के लाकप में बंद करने की बात बताया गया है। साथ ही साक्षी प्रदीप द्विवेदी के द्वारा अपने कथन में आवेदक अशू द्विवेदी एवं अनावेदक हिन्डलाल द्विवेदी को थाना में बुलाकर दोनों को आमने सामने करने आपस में झगड़ा विवाद न करने आपसी समझौता करने की बात बोल रहे थे। लेकिन अनावेदक हिन्डलाल द्विवेदी थाना प्रमारी की बात को न मानने की बात बताया है। इसी प्रकार अशू द्विवेदी के बदन को देखने पर उनके पीठ, हाथ व तलवे में चोट होना बताया गया है।

जांचित  
दिनांक

(21)

आवेदक अंशू द्विवेदी द्वारा थाना प्रभारी के फोन करने पर थाना जाने की बात बताया है व साक्षियों के द्वारा थाना नईगढी पुलिस द्वारा पुलिस के पास रो गाली में बैठकर ले जान की बात बताया गया है। इस प्रकार आवेदक व साक्षियों के कथन में विरोधाभास होना पाया गया है।

जांच के दौरान थाना प्रभारी थाना नईगढी से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। थाना प्रभारी द्वारा अपने प्रतिवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि दिनांक 29.06.2023 को आवेदक हिन्डलाल द्विवेदी निवासी जमुहरा थाना नईगढी के द्वारा अंशू द्विवेदी के विरुद्ध मारपीट व गाली गलौज करने सब्धी प्रस्तुत की गई थी। जिस शिकायत पर सउनिरी.नन्दकुमार सिंह व सउनिरी. रामकृपाल सिंह आरक्षक 270 बीरभद्र सिंह,आरक्षक 511 संतोष भीणा को ग्राम जमुहरा रवाना किया गया था। जिसमें आवेदक हिन्डलाल द्विवेदी एवं अनावेदक अंशू द्विवेदी को थाना बुलाकर लाये थे। दोनों पक्षों को समझाईस देकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार थाना से छोड़ा गया था। अंशू द्विवेदी को सम्मान देखा गया था, किसी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। साथ ही थाना में अंशू द्विवेदी के साथ किसी तरह से गाली गलौज अथवा मारपीट किसी भी कर्मचारी के द्वारा नहीं की गई ना ही उसे किसी झूठे प्रकरण में फसाने की धमकी दी गई थी। हिन्डलाल दुबे द्वारा की गई शिकायत की जांच से बचने के लिये पुलिस पर अनावश्यक रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने के संबंध में उल्लेख किया गया है।

जांच के दौरान आवेदक अंशू द्विवेदी के मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन करने पर मेडिकलकर्ता डॉक्टर के द्वारा हाथ के बांह में कोई चोट न होना व अंगुली में हार्ड एण्ड ब्लट ओब्जेक्ट की चोट होना लेख किया गया है। इसी प्रकार आवेदक व साक्षियों के द्वारा थाना नईगढी के आरक्षक बीरभद्र व अन्य पुलिस कर्मियों व थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के विरुद्ध मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। थाना प्रभारी नईगढी का उद्देश्य कुछ भी रहा हो लेकिन आवेदक के साथ मारपीट करना व कराना किसी भी दृष्टि से न्याय संगत व उचित नहीं है।

संपूर्ण जांच व आवेदक व साक्षियों के कथन व मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से थाना नईगढी पुलिस के द्वारा आवेदक के साथ मारपीट करना प्रतीत होता है। यदि अपने आप को संयमित कर लेते व मारपीट न करते तो आवेदक को इस तरह की शिकायत करने का मौका न मिलता। किसी भी शिकायत की जांच में किसी भी व्यक्ति को मारपीट करना किसी भी दृष्टि से तर्क संगत व उचित नहीं है।

अतः प्रतिवेदन अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

संलग्न:- मूल शिकायत:- 01  
कथन 05  
थाना प्रभारी का प्रतिवेदन  
मेडिकल रिपोर्ट की छायाप्रति

*[Signature]*  
29.7.23  
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस  
मनगढ़ा जिला रीवा (MP)

सत्यापित  
*[Signature]*

22

भारत सरकार  
राज्य सरकार  
राज्य सरकार

Scanned with OKEN Scanner

नाम नमूना 132 जोखनार्थ

मनगाँव (SDOP कार्यालय मनगाँव)

मनगाँव

अनोरा उर्फ अंशु द्विवेदी 510 राधाक प्रसाद द्विवेदी उम 36  
केन्द्रीय निवासी ग्राम जसुरा धौला नरक गरी जिला-रीवा

दिनांक 01/07/2023 को भेजा है उम्मीद मुनाहिजा करके इस बिन्दु को पुरान पर रहस्यवादी करने  
इसके लिए प्रत्यक्ष केफियत के साथ जिला प्रशासन में साफ जाहिर हो कि जहाँ किस किन्त का है और किस तक पहुँचाना  
करने के लिए

इन मुद्दों के बारे में मुफ्त केफियत जो इस तरह मालूम हुए हैं, नीचे लिखे हैं :-

- ① बाघे हाथ के बाँह में फर्दकार-चोट है।
  - ② बाघे हाथ को लक्ष्मी ठेंगलो फर्दकार-चोट है।
  - ③ बाँधे पैर के लोरा खर्ब पीठ में खर्ब ललकें चोट है।
- मजसूर उपरोकल डाटा दिनांक 29/06/23 के उपरोकल-चोट  
मारपीट करने से धाना बताया है।

पुस्तक संख्या धाना मनगाँव

दिनांक 01/07/2023.....

*Signature*  
1.7.2023  
अनुसंधान अधिकारी (पुलिस)  
मनगाँव, जिला रीवा (म.प्र.)

सत्यापित  
*Signature*

NLC-2071

प्रति (क) 50  
प्रति

अनेश दिवेदी वय ANL  
जयलक्ष्मी  
रिपोर्ट में उल्लिखित व्यक्ति: मां जोशों की आनंदी प्रतीक्षा सत्यवती डिवायन  
Rajhan Prasad Divvedin Byet/aj  
e-132, Jopkhal.

23


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

on plain of pain in left hand  
and back of right knee  
injury seen  
with swelling

triceps area,  
no extensor

Hard & thick  
Spine

9 in my spine injury is simple

  
11/07/23 @ 2:5

10/4 4 21/03/24

प्रति,

श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक महोदय

रेंज रीवा जिला रीवा म०प्र०

बिषय :- प्रार्थी को थाना नईगढ़ी पूछ तांछ के लिये बुलाकर लाकप मे बंद कर पुलिस द्वारा विरोधियो के दवाव मे आकर गंभीर मारपीट करने व गाली गलौज करने पर प्रार्थी के आई गंभीर चोट का मेडिकल कराये जाने के पश्चात चोटो की पुष्टि होने के वावजूद भी मामला पंजीबद्ध न किये जाने की जांच श्रीमान जी स्वतः कर दोषियो के बिरुद्ध मामला पंजीबद्ध कराये जाने वावतं।

महोदय ,,

निवेदन है कि प्रार्थी अंशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम जमुहरा पो०बघवा थाना नईगढ़ी जिला रीवा म०प्र० का निवासी है प्रार्थी खेती किसानी का काम करता है, प्रार्थी का जमीनी पुश्तैनी विवाद हिंछ लाल के परिवार से है हिंछ लाल के पुत्र जिला पुलिस बल भोपाल मे आशीष द्विवेदी एस.गंज थाना मे संभवतः पदस्थ है जो भोपाल से थाना नईगढ़ी प्रभारी को अपने असम्यक दवाव मे लेकर थाना नईगढ़ी मे झूठी रिपोर्ट दर्ज कराकर दिनांक 29.6.2023 को फोन करके थाना बुलाने पर प्रार्थी के शाम 7.30बजे नईगढ़ी जाने पर पदस्थ थाना प्रभारी नईगढ़ी श्री जगदीश सिंह ठाकुर, आरक्षक बीरभद्र सिंह, संतोष मीणा व दो अन्य पुलिस कर्मी प्रार्थी द्वारा प्रार्थी को थाना नईगढ़ी के अंदर पहुचते ही थाना प्रभारी बोले कि तुम्ही अंशू दुवे हो हां कहने पर उक्त सभी लोग मादर चोद बहन चोद की गालियां देते हुये लाकप मे बंद कर प्रार्थी के साथ राड, डंडे व पाइप से काफी गंभीर मारपीट किये व प्रार्थी की जनेऊ तोड़ दिये जिस मारपीट से प्रार्थी के बाये हांथ पखौरा, दोनो

पुलिस  
20/7/23  
04-9-23

(25)

तलवो व दोनो गुठनो के पीछे पीठ व शरीर के अन्य भागो मे काफी गंभीर चोटे आई प्रार्थी बिरोध करने लगा कि मेरे साथ क्यो मारपीट करते है तो उक्त लोगो द्वारा कहा किया तुम मादर घोट जिला पुलिस बल के मेरे मित्र के घर के लोगो को परेशान किये हो इरीलिये ऐसा हाल किया हूं व यदि तू आगे पुनः कही मेरी शिकायत किये तो तुम्हे गांजे के मामले मे बंदर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा कहते हुये गंभीर मारपीट किये व रात्रि 1.00बजे छोड़ दिये क्योकि उस वक्त गांव मे जानकारी हो जाने से सम्मानित परिवार के लोग व सरपंच भी थाना आ गये थे जिनके दवाव के आकर प्रार्थी को छोड़ा गया ।

उक्त संबंध मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.6.2023 को उक्त घटना के संबंध मे कार्यवाही किये जाने व चोटो का मेडिकल कराया जाकर दोषियो के बिरुद्ध कार्यवाही करने का आवेदन दिया जिस आवेदन पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा एस0डी0ओ0मनगंवा के माध्यम से जांच कराये जाने व मेडिकल कराये जाने का आदेश पारित किया गया व प्रार्थी को एस0डी0ओ0पी0मनगंवा के पास भेजा गया जिनके द्वारा प्रार्थी का मेडिकल स्वास्थ्य केन्द्र गंगेव 1.7.2023 को कराया गया, जिसमे मारपीट से प्रार्थी के चोटो आना लेख किया गया है लेकिन उसके वावजूद भी आज दिनांक तक प्रार्थी के उक्त प्रकार से की गई मारपीट के पुलिस कर्मचारी प्रभारी नईगढ़ी श्री जगदीश सिंह ठाकुर, आरक्षक बीरभद्र सिंह, संतोष मीणा व दो अन्य पुलिस कर्मी के बिरुद्ध कार्यवाही नही की गयी व एक्सरे भी प्रार्थी का कराया गया लेकिन एक्सरे की रिपोर्ट नही की दी गई है मेडिकल रिपोर्ट की प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

थाना नईगढ़ी मे पदस्थ आरक्षक बीरभद्र , व आरक्षक संतोष मीणा द्वारा इस बात का दवाव बनाया जाता है कि यदि मामला कायम कराये तो इस वार पुलिस के प्रताड़ना व मारपीट से बच गये हो इस

(26)

वार तुम्हारी लाश मिलेगी इस प्रकार की घमकिया दी जा रही है ऐसी दशा मे पुलिस थाना नईगढ़ी मे पदस्थ प्रभारी नईगढ़ी श्री जगदीश सिंह ठाकुर, आरक्षक वीरभद्र सिंह, संतोष मीणा व दो अन्य पुलिस कर्मी के द्वारा बिना किसी कारण लाकप के अंदर बंद कर की गयी मारपीट से उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाना न्याय संगत होगा।

अस्तु श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी के साथ थाना नईगढ़ी के थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर आरक्षक वीरभद्र सिंह व मीणा एवं दो अन्य द्वारा की गयी गंभीर मारपीट से आई चोटो का मेडिकल परीक्षण कराया जाकर दोषियो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराया जाकर प्रार्थी को न्याय प्रदान करने की कृपा की जाय।

दिनांक 04.09.2023

प्रार्थी



4-9-2-23


अंशू द्विवेदी पिता श्री राघो प्रसाद द्विवेदी निवासी ग्राम  
जमुहरा पो0बघवा थाना नईगढ़ी जिला मऊगंज  
म0प्र0मो0नं09981211119

संलग्न :-

1. श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को दिये गये आवेदन दिनांक 30.6.2023 की प्रति
2. प्रार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मनगंवा के प्रतिवेदन दिनांक 29.7.2023 व मेडिकल रिपोर्ट की प्रति

प्रति.

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय  
रीवा, जिला रीवा (म0प्र0)



**विषय:—**प्रार्थिया के पति जितेन्द्र मिश्रा पिता रामनिवास मिश्रा उम्र 33 वर्ष के विरुद्ध सी0एम0 हेल्पलाइन में पुलिस की शिकायत कर देने के कारण गांजा के केश में झूठी एफ0आई0आर0 थाना नईगढ़ी के थाना प्रभारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा दर्ज कर लेने बावत।

मान्यवर,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थिया आराधना मिश्रा पति जितेन्द्र मिश्रा, उम्र 33 वर्ष, निवासी—ग्राम हंकरिया, पोस्ट सोनवर्षा, थाना नईगढ़ी, जिला रीवा की रहने वाली हूँ। मेरे देवर देवेन्द्र मिश्रा द्वारा थाना नईगढ़ी में दिनांक 04.12.2022 को एक रिपोर्ट राजबहोर तिवारी एवं रमानिवास तिवारी निवासी—ग्राम हंकरिया व खूझ के विरुद्ध थाना नईगढ़ी में लिखाई गई थी कि मेरे ट्रैक्टर उक्त आरोपीगण रास्ते में रोक लिये हैं, ट्रैक्टर में तोड़फोड़ व मेरे साथ मारपीट व गाली—गलौज किये हैं, किन्तु पुलिस ने एफ0आई0आर0 154 सी0आर0पी0सी0 में दर्ज नहीं की, मात्र 155 द0प्र0सं0 में दर्ज कर कोई कार्यवाही नहीं किया, जिसके संबंध में मेरे पति जितेन्द्र प्रसाद मिश्रा व देवर देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने सी0एम0 हेल्पलाइन में पुलिस थाना नईगढ़ी के विरुद्ध इस आशय की शिकायत दर्ज करवाई थी कि (विवेचना में विलम्ब व लापरवाही करना/समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना/किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही/विवेचना न करना पुलिस) जिसके संबंध में पुलिस थाना नईगढ़ी द्वारा कई बार मेरे पति व देवर के विरुद्ध दबाव बनाया गया कि आप सी0एम0 हेल्पलाइन की शिकायत बंद करा दो, नहीं तो अभी पुलिस को

नहीं जानते हो, किसी दिन मैं थाने में बंद कर पिटाई कर दूंगा और फिर तुम्हारे ही लोगो के ऊपर मुकदमा लगा दूंगा।

मेरे देवर देवेन्द्र मिश्रा ने उक्त सी०एम० हेल्पलाइन में की गई शिकायत पुलिस के डर के मारे बंद करा दी, किन्तु मेरे पति श्री जितेन्द्र मिश्रा ने यह कहते हुये शिकायत बंद नहीं करायी कि जब तक मेरे समस्या का निराकरण नहीं होगा, मेरे मामले की जांच कर कार्यवाही नहीं की जायेगी तो मैं शिकायत बंद नहीं कराऊँगा। इसी बात को लेकर दिनांक 19.02.2023 को पुलिस ने चिड़ व रंजिश मानकर 04.00 बजे शाम को मेरे घर में अचानक आकर मुझे व मेरे पति को पकड़कर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर थाना नईगढ़ी ले गये, हम लोगो ने पूछा मुझे क्यों पकड़ रहे हैं तो बोले कि थाने में पहले चलो, वहीं बताऊँगा, जैसे ही मैं और मेरे पति थाने में पहुँचे तो गन्दी-गन्दी गालियां देते हुये अश्लील शब्दो का प्रयोग करते हुये थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर मारपीट करने लगे और मुझे जबरदस्ती हाथ पकड़कर घसीटते हुये कमरे के तरफ ले जाने लगे, मैं वहाँ पर जोर-जोर चीखी चिल्लाई फिर भी वो नहीं माने फिर मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार करते हुये मेरे सामने ही मेरे पति को जोर-जोर से पीटने लगे, बोले बहुत सी०एम० हेल्पलालन में पुलिस के खिलाफ शिकायत करवाती है तू और तेरा पति।

इतना ही नहीं मेरे पति जितेन्द्र मिश्रा के विरुद्ध झूठी एफ०आई०आर० गांजा बिक्री के संबंध में कर लिये।

अस्तु श्रीमान जी के समक्ष मैं आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करती हूँ कि मेरे पति व देवर द्वारा पूर्व में की गई थाने में रिपोर्ट व उस पर कोई कार्यवाही न होने पर की गई सी०एम० हेल्पलाइन शिकायत का अवलोकन करते हुये जिस तरह से पुलिसिया अत्याचार मेरे व मेरे पति के विरुद्ध थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा किया गया, उसकी गंभीरतापूर्वक जांच

कराकर मुझ निर्दोष महिला के साथ हुये अश्लील व अश्लील अत्याचार रात्रि में थाने में बैठाकर रखना और भद्दी-भद्दी गालियां देना हाथ पकड़कर कमरे की ओर खींचना और मेरे निजी अंगों में हाथ लगाना मेरी मर्यादा को भंग करना जैसा जघन्य अपराध किया गया है, इसलिये थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करवाते हुये सम्पूर्ण मामले की विधिवत जांच कर मेरे पति के विरुद्ध गांजा के संबंध में लगाये गये झूठे एफ0आई0आर0 में खात्मा लगाये जाने की कृपा की जाय।

आराधना मिश्रा

दिनांक :- 21/2/23

प्रार्थिया

आराधना मिश्रा पति जितेन्द्र मिश्रा,  
निवासी-ग्राम हंकरिया, पोस्ट सोनवर्षा,  
थाना नईगढ़ी, जिला रीवा (म0प्र0)

प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, म0प्र0 शासन भोपाल।
2. माननीय गृहमंत्री महोदय म0प्र0शासन भोपाल।
3. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय भोपाल।
4. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय रीवा संभाग रीवा।
5. श्रीमान ए0डी0ओ0पी0 महोदय अनुभाग मऊगंज।
6. महिला आयोग भोपाल।

संलग्न :-

1. श्री देवेन्द्र मिश्रा द्वारा पूर्व में की गई शिकायत की प्रति।
2. श्री जितेन्द्र कुमार मिश्रा (शर्मा) व देवेन्द्र मिश्रा द्वारा सी0एम0 हेल्पलाइन में पुलिस के विरुद्ध की गई शिकायत की प्रति।

NON COGNIZABLE  
In respect of Non Cognizable Offence  
(Under Section 155 Cr.P.C)

एन.सी.ओर  
अपराध रिपोर्ट की प्रतिलिपि  
अपराध रिपोर्ट के अंतर्गत में  
(अनुच्छेद 155 क्र.प.सं.)

UCR No (आर.ए.ए. संख्या) : 0597/2022 Date (दिनांक) : 03/12/2022

PS (पुलिस स्टेशन) : ... District (जिला) : ...

1. Acts & Sections of Law (कानून के अनुच्छेद एवं प्रावधान) : ... Section(s) (भाग(ए)) : ...

S. No. (सं.) Act(s) (अनुच्छेद)

Place of occurrence (घटना का स्थान) :

(a) Information Received at P.S. (जहाँ पर प्राप्त हुआ)

Date (दिनांक) : 03/12/2022

Time (समय) : 13:00 बजे

(b) General Diary Reference (संदर्भित लेखनामका)

G.D. No. (लेखनामका सं.) : 009

G.D. Time (लेखनामका समय) : 13:32 बजे

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक) : 03/12/2022

Time (समय) : 19:00 बजे

Time Range (समय सीमा)

(d) Place (स्थान) :

Name & Residence of Complainant (विकारग्रस्तकर्ता का नाम और पता) :

Name (नाम) : ...

Address Type (पता का प्रकार)

Address (पता)

1. ... ग्राम हंकारिया, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

2. ... ग्राम हंकारिया, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

e. Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता)

Name (नाम) : रामनिवास तिवारी

Father's Name (पिता का नाम) : विद्याल प्रसाद तिवारी

Age (आयु) : ... From (से) :

To (तक) :

Residence (निवास) :

(f) Address Type (पता का प्रकार)

Address (पता)

1. ... ग्राम खुर्द, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

2. ... ग्राम खुर्द, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

(g) Name (नाम) : रामचंद्र शिवारी

Father's Name (पिता का नाम) : चन्दास तिवारी

Age (आयु) : ... From (से) :

To (तक) :

Residence (निवास) :

(h) Address Type (पता का प्रकार)

Address (पता)

1. ... ग्राम हंकारिया, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

2. ... ग्राम हंकारिया, नईगढी, सिवा, मध्य प्रदेश, भारत

अपराध रिपोर्ट का विवरण

... (Detailed description of the crime report in Hindi, mentioning the complainant's name, father's name, and the location of the incident.)

1. Name of the person:   
 2. Address:   
 3. Contact No:   
 4. Date:   
 5. Signature:   
 6. Name of the person:   
 7. Address:   
 8. Contact No:   
 9. Date:   
 10. Signature:

11. Name of the person:   
 12. Address:   
 13. Contact No:   
 14. Date:   
 15. Signature:

16. Name of the person:   
 17. Address:   
 18. Contact No:   
 19. Date:   
 20. Signature:

**CR Contacts (अपने-अपराध रिपोर्ट का विवरण)**  
 1. Name of the person:   
 2. Address:   
 3. Contact No:   
 4. Date:   
 5. Signature:

यदि किसी भी कारण से, रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति (अभिज्ञानकर्ता) को पुलिस पर एक साक्षी पत्र लिखना गौण करने पर मंजूर हो सके तो रिपोर्ट को तुरंत ही रिपोर्ट करने पर मंजूर हो सके। यदि रिपोर्ट करने वाले को रिपोर्ट करने में कोई बाधा है, तो रिपोर्ट करने से पहले ही रिपोर्ट को तुरंत ही रिपोर्ट करने पर मंजूर हो सके।

Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संबंधित संपत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें))

S.No.(क्र.सं.) Property Type(संपत्ति का प्रकार) Property Description (संपत्ति का विवरण)

Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता, अगर साक्षी को अलग से अलग से विवरण दिया गया हो)


S.No.(क्र.सं.) Name(नाम) Address(पता)

R.O.A. (अपराध सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है) :

Informant is advised to seek help in concerned court (सूचनाकर्ता को अदालत से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई) :



Signature/Thumb Impression of the complainant/Informant (सूचनाकर्ता/अभिज्ञानकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)



Signature of Officer (अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम) : SHRIKANT DWIVEDI

Rank(पद) : HC (Head Constable)

No.(सं.) : 618



# विवरण

शिकायत क्रमांक/हेतु - 28/01/2023

दिनांक -  
28/01/2023



विभाग का नाम पुलिस

शिकायतकर्ता का नाम जीतेन्द्र शर्मा जी  
जी

पता ग्राम पंचायत  
हकरिया न. १  
ब्लाक नईगढी  
जिला रीवा  
1253121004

फोन न. XXXXXXX047,  
XXXXXX047

जिला रीवा

क्षेत्र क्षेत्र/अनुभाग  
मउगज\_रीवा,  
क्षेत्र/थाना  
नईगढी

शिकायत का प्रारूप विवेचना में विलम्ब व लापरवाही करना/समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना/ किसी पक्ष से मिलकर दबाव में सही कार्यवाही/विवेचना न करना (पुलिस)

शिकायत का विवरण शिकायतकर्ता जीतेन्द्र शर्मा जी द्वारा बताया गया कि आवेदक का कहना है की अनावेदक का नाम विजय शंकर उर्फ बब्बू व घुहिला उर्फ रूहीडी के द्वारा आवेध तरीके से गोंजा बेचे जाने के विषय में आवेदन दिया था लेकिन जिसका थाना नई गढी में पुलिस के द्वारा कोई करवाही नहीं की जा रही है जिससे आवेदक को बहुत समस्या आ रही है निवेदन रहेगा इसकी जांच की जाय व समस्या दूर जल्द से जल्द निराकरन किया जाय

24 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 3 अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।

24 Jan 2023 शिकायत पर प्राप्त निराकरण का पुनर्मूल्यांकन कर सम्यचित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से "मान्य" कर दिया गया है।

24 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता को शिकायत पर पुलिस द्वारा मोके पर जांच की गई जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता की भाई द्वारा अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे थे जमीनी विवाद को लेकर गांव के रामा निवास तिवारी द्वारा कुछ विवाद हो गया था पुलिस द्वारा मोके पर पहुंचकर जांच की गई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि हम इनके माई हम दोनों नाम अपरोध समझीता कर लिए है। श्रीमान जी मामले में पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। शिकायत विलोपन योग्य है।

23 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 1 अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।

23 Jan 2023 शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

23 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता को शिकायत पर पुलिस द्वारा मोके पर जांच की गई जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता की भाई द्वारा अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे थे जमीनी विवाद को लेकर गांव के रामा निवास तिवारी द्वारा कुछ विवाद हो गया था पुलिस द्वारा मोके पर पहुंचकर जांच की गई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया

से जल्द निराकरण किया जाय

निराकरण

श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई है शिकायतकर्ता संतुष्ट है

शिकायत की स्थिति

शिकायत को बंद कर दिया गया है

प्रिंट करें

## शिकायत की स्थिति

दिनांक	शिकायत की स्थिति
19 Feb 2023	शिकायत को बंद कर दिया गया है
19 Feb 2023	शिकायतकर्ता कि गयी कार्यवाही से संतुष्ट है अतः शिकायत को बंद कर दिया गया है
19 Feb 2023	शिकायतकर्ता से सहमति अथवा असहमति की पुष्टि शेष है
19 Feb 2023	श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर उचित वैधानिक कार्रवाई की गई है शिकायतकर्ता संतुष्ट है
23 Jan 2023	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उक्त शिकायत पर अधिकारी द्वारा कोई भी निराकरण दर्ज नहीं किया गया है। बिना निराकरण दर्ज किए शिकायत बंद करने का पोर्टल पर प्रावधान नहीं है, उक्त शिकायत पर अधिकारी द्वारा निराकरण दर्ज होने के बाद ही शिकायत बंद हो सकती है।



सी एम हेल्पलाइन

सम-सम 181

दिनांक  
12/12/2022



विभाग का नाम पुलिस  
शिकायत कर्ता का नाम जीतेन्द्र शर्मा जी  
जी

पता ग्राम पंचायत  
हकरिया न. १  
ब्लाक नईगढी  
जिला रीवा  
६२६३१८१००५

फोन न. XXXXXXX047,  
XXXXXXXX047

जिला रीवा

क्षेत्र क्षेत्र/अनुभाग :  
मउमंज रीवा,  
क्षेत्र/थाना :  
नईगढी

शिकायत का प्रारूप विवेचना में विलम्ब व लापरवाही करना/समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना/ किसी पक्ष से मिलकर-दबाव में सही कार्यवाही/विवेचना न करना (पुलिस)

शिकायत का विवरण शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि थाना नईगढी में एफ आई आर दिनांक 7 दिन पूर्व दर्ज करवाइं ,आवेदक का नाम देविन्द्र मिश्रा है अनावेदक राजबहोर तिवारी ,रमानिवास तिवारी के द्वारा आवेदक के साथ मारपीट की गई है एवं पैसे छीन लिए है जिसकी थाना नईगढी में एफ.आई आर दर्ज करवाइं पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए

Scanned with OKEN Scanner

की गई है जिससे आवेदक को बहुत  
समस्या आ रही है कृपया समस्या का  
जल्द से जल्द निराकरण किया जाए

- 02 Jan 2023 शिकायत निराकरण हेतु (ऐल2)  
अधिकारी है
- 02 Jan 2023 निराकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित  
अवधि में कार्यवाही ना करने के कारण  
शिकायत (ऐल2) अधिकारी को  
परिवर्तित किया जा रहा है
- 01 Jan 2023 शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच  
जारी है
- 29 Dec 2022 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि :  
आवेदक को अधिक समस्या हो रही है  
कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जांच  
की जाए कृपया समस्या का जल्द से जल्द  
निराकरण किया जाए
- 22 Dec 2022 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि  
आज दिनांक तक कोई न कार्यवाही नहीं  
की गई है जिससे आवेदक को काफी  
समस्या हो रही है कृपया समस्या का  
जल्द से जल्द निराकरण किया जाए |
- 20 Dec 2022 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि  
कृपया समस्या का जल्द से जल्द  
निराकरण किया जाए |
- 12 Dec 2022 शिकायत निराकरण हेतु (ऐल1)  
अधिकारी है
- 12 Dec 2022 शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल  
सेंटर के माध्यम से दर्ज की गयी है।

- 05 Jan 2023 शिकायतकर्ता से सहानुभूति जगाना  
असहमति की पुष्टि शेष है।
- 05 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी  
द्वारा दर्ज किया गया है।
- 05 Jan 2023 शिकायत पर प्राप्त निराकरण का  
पुनर्मूल्यांकन कर सम्बंधित अधिकारी  
द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से  
"मान्य" कर दिया गया है।
- 05 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता  
की शिकायत पर पुलिस द्वारा उचित  
वैधानिक कार्रवाई की गई शिकायतकर्ता  
संतुष्ट है, शिकायतकर्ता की शिकायत पर  
पुलिस द्वारा उचित वैधानिक कार्रवाई की  
गई शिकायतकर्ता संतुष्ट है।
- 05 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 1 अधिकारी  
द्वारा दर्ज किया गया है।
- 05 Jan 2023 शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः  
निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु  
प्रेषित कर दिया गया है।
- 05 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता  
की शिकायत पर पुलिस द्वारा उचित  
वैधानिक कार्रवाई की गई शिकायतकर्ता  
संतुष्ट है।
- 03 Jan 2023 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि  
:आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं  
की गई है जिससे आवेदक को बहुत  
समस्या आ रही है कृपया समस्या का  
जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।
- 02 Jan 2023 शिकायत निराकरण हेतु (एल2)  
अधिकारी है।
- 02 Jan 2023 निराकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित  
अवधि में कार्यवाही ना करने के कारण

16 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 3 अधिकारी  
द्वारा दर्ज किया गया है।

16 Jan 2023 शिकायत पर प्राप्त निराकरण का  
पुनर्मूल्यांकन कर सम्बंधित अधिकारी  
द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से  
"अमान्य" कर दिया गया है।


16 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता  
की शिकायत पर पुलिस द्वारा मौके पर  
जांच की गई जिसमें पाया गया कि  
शिकायतकर्ता की भाई द्वारा अपने घर से  
ट्रेक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे  
थे जमीनी विवाद को लेकर गांव के रामा  
निवास तिवारी द्वारा कुछ विवाद हो गया  
था पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच  
की गई जिसमें शिकायतकर्ता है हम इनके  
भाई द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग  
आपसी समझौता कर लिए हैं

12 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 1 अधिकारी  
द्वारा दर्ज किया गया है।

12 Jan 2023 शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः  
निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु  
प्रेषित कर दिया गया है।

12 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता  
की शिकायत पर पुलिस द्वारा मौके पर  
जांच की गई जिसमें पाया गया कि  
शिकायतकर्ता की भाई द्वारा अपने घर से  
ट्रेक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे  
थे जमीनी विवाद को लेकर गांव के रामा  
निवास तिवारी द्वारा कुछ विवाद हो गया  
था पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच  
की गई जिसमें शिकायतकर्ता है हम इनके  
भाई द्वारा बताया गया कि हम दोनों लोग  
आपसी समझौता कर लिए हैं

05 Jan 2023 शिकायत निराकरण हेतु (एल3)  
परिष्कारणी है



23 Jan 2023 श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा मौके पर जांच की गई जिसमें पाया गया कि शिकायतकर्ता की भाई द्वारा अपने घर से ट्रैक्टर लेकर खेत की जुताई करने जा रहे थे जमीनी विवाद को लेकर गांव के रामा निवास तिवारी द्वारा कुछ विवाद हो गया था पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि हम इनके भाई हम दोनों लोग आपसी समझौता कर लिए हैं। श्रीमान जी मामले में पुलिस द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही की गई है। शिकायत विलोपन योग्य है।

21 Jan 2023 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आवेदक को पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है की शिकायत बंद करा दो आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है जिससे आवेदक काफी परेशान है जिससे समस्या हो रही है। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।

20 Jan 2023 शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि है जिसकी धाना नईगढ़ी में एफ.आई.आर दर्ज करवाई पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।

16 Jan 2023 शिकायत पर निराकरण एल 3 अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।

16 Jan 2023 शिकायत पर प्राथम निराकरण का पुनर्मुल्यांकन कर सन्बन्धित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से 'अमान्य' कर दिया गया है।

प्रति,

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय,

जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय:-

प्रार्थी को बिना किसी समुचित कारण व अपराध के ही अचानक घर से थाना प्रभारी नईगढ़ी जिला रीवा में पदस्थ श्री जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा उठाकर थाने में ले जाने एवं मारपीट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि मैं भगवानदास पटेल पिता श्री मोतीलाल पटेल उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम जुड़मनिया मुरली थाना नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. का रहने वाला हूँ। दिनांक 17.05.2023 को समय दोपहर लगभग 12:10 बजे मेरे घर जुड़मनिया में थाना नईगढ़ी की पुलिस आई और मुझसे बोले की आपका क्या नाम है, मैंने कहा भगवानदास पटेल इतने में सभी पुलिस वाले मुझसे अचानक लिपट गये और पकड़कर गाड़ी के अन्दर बैठा लिये। मैंने पूछा कि मेरा क्या अपराध है कौन सा ऐसा कसूर है कि आप मुझे बिना किसी सूचना के बिना मेरे घर में कोई जानकारी दिये थाने ले जा रहे हैं। मेरे इतना बोलते ही पुलिस वाले मुझे गाड़ी के अन्दर ही मारने लगे, बोले चुप रह मादरचोद, थाने चल तो मैं बताता हूँ। जब मुझे थाने लेकर पहुंचे तो थाना प्रभारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर मुझे माँ, बहन की गाली देने लगे और बोले कि बंद करो इस साले को, और इसकी पिटाई करो। मैं जोर-जोर से थाने के अन्दर रोने लगा तब मुझे और ज्यादा वो मारने लगे। बोले तेरा मोबाइल कहां है, तेरे घर वाले पुलिस के खिलाफ एक 181 सी.एम. हेल्प लाइन में शिकायत किये हैं, इसलिए तुझे थाने लाया हूँ अब यहीं से तु अपने घर के मोबाइल नंबर 9303903760 पर फोन लगा और बोल कि मैं थाने में बंद हूँ, आप लोगों के फोन में एक ओ.टी.पी. नंबर जायेगा, तो वह बताओ, नहीं तो थाना प्रभारी महोदय, हमे नहीं छोड़ेंगे, मुकदमा लगा करके जेल भेज देंगे।

मेरे हाथ से श्री जगदीश सिंह ठाकुर मोबाइल छुड़ाकर उक्त नंबर पर कॉल किये और उधर से ओ.टी.पी. पूछकर 181 सी.एम.हेल्प लाइन में दर्ज शिकायत को बंद कर लिये। मुझसे बोले कि गांव में बता देना और



अपने घर में कि जो भी पुलिस के खिलाफ 181 सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत करेगा उसकी मैं इसी तरह पिटाई करके दुरगति कर दूंगा।

जब मुझे पकड़ने मेरे घर आये थे तो मेरी बहन माता, ने पुलिस वालों से यह पूछा कि क्यों ले जा रहे हैं मेरे भाई को तो उन्हें भी धक्का मारकर गिरा दिये थे, एवं जबरदस्ती मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठा लिये थे। दिनांक 26.03.2023 को मेरी बहन इन्द्रपरी पटेल पिता मोतीलाल पटेल निवासी ग्राम जुड़मनिया मुरली, थाना नईगढ़ी जिला रीवा द्वारा थाना नईगढ़ी में आरोपीगण यशोदा पटेल पति रामपराग पटेल, लापर पटेल पति रामबहादुर पटेल के विरुद्ध मारपीट के संबंध में रिपोर्ट लिखवाई थी, जिसमें मेरी बहन का मेडिकल भी हुआ था, जब उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगणों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, तो उसके संबंध में दिनांक 18.04.2023 को व 05.04.2023 को माननीय पुलिस अधीक्षक, महोदय के समक्ष आरोपीगणों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु आवेदन पत्र भी दिया गया था और इसी घटना के संबंध में मेरी बहन इन्द्रपरी पटेल के मोबाइल नंबर से सी.एम. हेल्पलाइन 181 में आरोपीगणों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने के संबंध में शिकायत दर्ज करवायी गयी थी। जिस पर पुलिस ने कोई निदान न करते हुए आरोपीगणों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करते हुए उल्टा मुझ निर्दोष व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गये, मारपीट किये, अश्लील गालियां दिये, रात्रि लगभग 11:30 बजे तक मुझे थाने में जबरन बैठा कर रखे, सी.एम.हेल्पलाइन की शिकायत को बंद करवाने के लिए मेरे घर परिवार के ऊपर, मुझे मारपीट कर दबाव बनवाये और जबरदस्ती ओ.टी.पी. लेकर शिकायत बंद करा लिये। इस तरह का जुल्म और अत्याचार मेरे साथ नईगढ़ी के थाना प्रभारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा किया गया, जिससे मैं काफी आहत होकर दुःखी हूँ।

उक्त घटना के संबंध में न मैं रिपोर्टकर्ता था, न ही मैं सी.एम. हेल्पलाइन में कोई शिकायत किया था, मेरा किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं था इसके बावजूद मेरे साथ थाना प्रभारी द्वारा मारपीट की गई, अश्लील गालिया दी गई, थाने में बैठाकर रखा गया, अनावश्यक रूप से टार्चर करके सीएमहेल्प लाइन में दर्ज शिकायत को बंद करवाने के लिए मात्र उक्त कृत्य किया गया।

अस्तु श्रीमान् जी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि नईगढ़ी के थाना प्रभारी श्री जगदीश सिंह ठाकुर के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थापित करते हुए दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए मुझ निदोष के साथ उनके द्वारा किये गये उक्त कृत्य की जांच कर न्याय दिलाये जाने की कृपा की जाय।

**संगलग्न:-**

1. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला रीवा को इन्द्रपरी पटेल द्वारा प्रस्तुत आवेदन की छायाप्रति।
2. दिनांक 27.03.2023 को थाना नईगढ़ी में लिखाई गई रिपोर्ट की छायाप्रति।
3. दिनांक 26.03.2023 को सी.एम.हेल्पलाइन में मेरी बहन के द्वारा अपने भाई पुष्पराज पटेल से करवाई गई शिकायत की छायाप्रति।

दिनांक 19.05.2023

प्रार्थी/आवेदक  
भगवानदास पटेल

भगवानदास पटेल पिता श्री मोतीलाल पटेल उम्र  
28 वर्ष, निवासी ग्राम जुड़मनिया मुरली थाना  
नईगढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)  
मो.नं. 8103803401

**प्रतिलिपि:-**

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बल्लभ भवन भोपाल म.प्र.।
2. माननीय प्रमुख सचिव महोदय, गृह विभाग, बल्लभ भवन भोपाल।
3. माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय, भोपाल म.प्र.।
4. माननीय एस.डी.ओ.पी. महोदय अनुभाग-मऊगंज, जिला रीवा।
5. माननीय डायरेक्टर सी.एम. हेल्पलाइन, भोपाल।

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय

रीवा, जिला रीवा म0प्र0

विषय-

प्रार्थिया व उसकी पुत्रियों के साथ गाली गलौज मारपीट कर जान से मारने पर उतारू आरोपीगण के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किये जाने बावत।


संदर्भ -

थाना नईगढ़ी मे दर्ज रिपोर्ट दिनांक 26.03.2023 व 27.03.2023 एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा शिकायत आवेदन क्र0- 05.04. 2023

मान्यवर

निवेदन है कि प्रार्थिया इन्द्रपरी पटेल पिता मोतीलाल पटेल निवासी ग्राम जुड़मनिया मुरली थाना नईगढ़ी जिला रीवा म0प्र0 की निवासी है, तथा अपनी माता श्यामकली पटेल व बहन विद्यावती पटेल के साथ थाना नईगढ़ी मे रिपोर्ट किया था, प्रार्थिया के चोटो का मेडिकल परीक्षण कराते हुए उपचार भी कराया गया था, किन्तु कोई कार्यवाही न होने से आरोपिया यशोदा पटेल पत्नी रामपराग पटेल, सुग्गी पटेल पत्नी सत्यभान पटेल, लापर पटेल पत्नी बहादुर पटेल, रीना पटेल पत्नी राजकुमार पटेल, नेहा पटेल पुत्री बहादुर पटेल, प्रिन्शु पटेल पुत्री रामप्रयाग पटेल दिनांक 26.03.2023 को जबरन पानी बहा रही थी, मना करने पर उक्त आरोपीगण प्रार्थिया से व प्रार्थिया की माता श्यामकली पटेल व बहन विद्यावती पटेल के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की थी, और जान से मारने की धमकी भी दी गई है।

आरोपीगण के मारपीट से प्रार्थिया के सिर मे काफी चोट लगी है, जिससे काफी खून बह रहा था, इसके अलावा मारपीट से गले मे, कंधे मे और हांथ-पैर मे चोटे आई है, जिसका मेडिकल मुलाहजा भी करया गया है, इसी तरह प्रार्थिया के माता श्यामकली व बहन विद्यावती को भी चोटे आई है, किन्तु आरोपीगणो के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध नही किया गया है, जिससे आरोपीगण प्रार्थिया व उसके परिवार को घर से निकालने का रास्ता रोक रहे है, और रास्ते मे पानी बहाकर प्रार्थिया व उसके परिवार का रास्ता रोके हुए है।

  
श्यामकली पटेल

आरोपी गण कह रहे है कि जब तक जान से खतम नही कर देंगे, तब तक चैन की सास नही लेगे।

आरोपीगण काफी सबल व सरहंग गिरोह बंद अपराधिक प्रवृत्ति की महिलाए है, यदि श्रीमान द्वारा अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर दण्डित नही कराया जाता तो आरोपीगण किसी दिन बड़ी गंभीर घटना करेगे।

प्रार्थिया विषयांकित घटना की जांच व कार्यवाही बावत शिकायत की गई जिसमे श्रीमान के आदेशानुसार थाना नईगढी गई थी, कन्तु आरोपीगणो के प्रभाव मे आकर पुलिस थाना नईगढी द्वारा घटना की जांच आज दिनांक तक नही की गई एवं आरोपी गण खुले तौर पर प्रार्थिया व उसके पुत्री को जान से मारने की धमकी दे रहे है। प्रार्थिया काफी डरी व भयभीत है कि आरोपीगण कभी भी कोई अप्रिय घटना कारित कर सकते है।

अस्तु निवेदन है कि थाना नईगढी मे दर्ज रिपोर्ट दिनांक 26.03.2023 व 27.03.2023 के उक्त आरोपीगणो के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कराते हुए दण्डित कराये जाने की कृपा की जाय।

दिनांक- 18/04/23

प्रार्थिया / शिकायतकर्ता

1- इन्द्रपरी पटेल पुत्री मोतीलाल पटेल उम्र 22 वर्ष

श्यामकली पटेल पत्नी मोतीलाल पटेल दोनो  
निवासी ग्राम जुडमनिया मुरली थाना नईगढी  
जिला रीवा म0प्र0 मो0नं0-9303903760

# N.C.R

## NON COGNIZABLE OFFENCE INFORMATION REPORT

In respect of Non Cognizable Offence

(Under Section 155 Cr.P.C)

### एन.सी.आर

असंज्ञेय अपराध की सूचना रिपोर्ट  
असंज्ञेय अपराध के संदर्भ में  
(अंतर्गत धारा 155 ट.प्र.सं.)

PS(स्थान): नईपट्टी

District(जिला): रीवा

NCR No(असंज्ञेय अपराध प्रतिवेदन सं.): 0098/2023 Date(दिनांक): 27/03/2023

#### 1. Acts & Sections of law (कायू के अधिनियम एवं धाराएँ)

S.No(क्र.सं.)	Act(s)(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
---------------	-----------------	------------------

#### 2. Place of occurrence(घटना का स्थान):

(a) Information Received at P.S(घाने पर प्राप्त सूचना)

Date (दिनांक) : 27/03/2023

Time (समय) : 11:00 बजे

(b) General Diary Reference(संदर्भित रोजनामचा)

G.D. No. (रोजनामचा सं.): 008

G.D. Time (रोजनामचा समय): 11:23 बजे

(c) Occurrence Date (घटना दिनांक) : 26/03/2023

Time(समय): 16:00 बजे

Time Range(समयवधि):

(d) Place(स्थान):

#### 3. Name & Residence of Complainant (शिकायतकर्ता का नाम और पता):

Name (नाम) : इन्दुप्री पटेल

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

#### 4. Name, Father's Name, Age & Residence of Accused/Suspect (अभियुक्त/संदिग्ध का नाम, पिता का नाम, आयु और पता):

(1) a) Name(नाम): यशोदा पटेल

b) Husband's Name(पति का नाम): रामपराग पटेल

c) Age (आयु): From(से): To(तक):

d) Residence (निवास):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

(2) a) Name(नाम): लापर पटेल

b) Husband's Name(पति का नाम): रामबहादुर पटेल

c) Age (आयु): From(से): To(तक):

d) Residence (निवास):

S.No.(क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	ग्राम जुडमनिया मुल्की, नईगढी, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

#### 5. NCR Contents (असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट का विवरण)

फरियादिया इन्दुप्री पटेल पिता श्री मोतीलाल पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम जुडमनिया मुल्की थाना नईगढी की हमराह अपने माँ श्यामकली पटेल व बड़ी बहन विद्यावती पटेल के साथ थाना उपस्थित आकर जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि मैं अपनी जमीन में कच्ची ईटा पारी हूँ कल दिनांक 26.03.2023 को मेरे पड़ोस के यशोदा पटेल बारिश होने से बारिश का पानी अपने द्वार पर बाँधी थी तो समय करीबन 04 बजे शाम की बात है यशोदा पटेल बारिश का पानी मेरे दरवाजे पर खोल दी जिससे मेरे पारा हुआ ईटा भीग गया तब मैं बारिश का पानी बाँधने के लिए यशोदा पटेल के द्वार पर जाकर पानी बाँधने लगी तभी यशोदा पटेल मुझे पानी बाँधने के लिए माली गलोज करने लगी तब मैं माली गलोज देने से मना कि तो यशोदा पटेल वही पास में पड़ी लाठी

उदाहरण मूले मारने लगी। हल्ला मोहोर कि तो मेरी बही बहन विद्यावती पटेल वीस बचाव को आई तो यही बही लखम पटेल पनि रामबहादुर पटेल हाथ मूला म विद्यावती को मारने लगी। हल्ला मोहोर मुनकर मेरी माँ श्यामवती पटेल व आस पास के लोग आए और बीच बचाव किया। मारपीट से मुझे सिर में घाट लया मेरी बही बहन विद्यावती पटेल का टर्नहने लरफ कान के उपर टटे की घोट आई। कन बारिश होने व बहान साधन नही होने से रिपोर्ट को नही आ सकी थी आज रिपोर्ट को आई है रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जाय। करियारिया की रिपोर्ट टर्न कर मजहबु को आई घोटो का एमएलसी फार्म भरकर वास्ते जापार हेतु सीपावरी नईगढी भेजा जमा है घाट आने नतीजा योग्य कार्यवाही की गयेगी।

6. Particulars of properties involved (Attach separate sheet, if necessary) (संनिप्त संपत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो पृथक शीट संलग्न करें)):


S.No.(क्र.सं.)	Property Type(संपत्ति का प्रकार)	Property Description (संपत्ति का विवरण)
----------------	----------------------------------	---

7. Name and full address of witnesses, if described in contents of NCR (साक्षी का नाम एवं पूर्ण पता, अगर साक्षी को अलग-अलग अवसरों पर प्रत्येक के सार में दर्जित किया गया हो) :

S.No.(क्र.सं.)	Name(नाम)	Address(पता)
----------------	-----------	--------------

8. R.O.A.C(पढ़कर सुनाई गई तथा उपयुक्त होना स्वीकार है) :

9. Informant is advised to seek help in concerned court(सूचनाकर्ता को न्यायालय से सहायता प्राप्त करने की सलाह दी गई।):



Signature/Thumb impression of the complainant/informant (सूचनाकर्ता/सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान)



Signature of Officer(अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name(नाम) : SHRIKANT DWIVEDI

Rank(पद) : HC (Head Constable)

No.(सं.) : 648

GRIEVANCE STATUS

Grievance Status

शिकायत क्रमांक दर्ज करें :

21541470

Reset

## सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

जन हेतु - जन सेतु

शिकायत क्रमांक	21541470 दिनांक - 26/03/2023
विभाग का नाम	पुलिस
शिकायत कर्ता का नाम	पुष्पराज पटेल जी जी
पता	ग्राम पंचायत-जुड़मनिया रघुनाथ, ब्लॉक-नईगढी, जिला-रीवा
फोन न.	XXXXXXXX760, XXXXXX760
जिला	रीवा
क्षेत्र	क्षेत्र/अनुभाग : मउगंज_रीवा, क्षेत्र/थाना : नईगढी



शिकायत का प्रारूप	विवेचना में विलम्ब व तापरवाही करना/समय से प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करना/ किसी पक्ष से मिलकर-दबाव में सही कार्यवाही/विवेचना न करना (पुलिस)
शिकायत का विवरण	शिकायतकर्ता पुष्पराज पटेल जी से प्राप्त जानकारी के अनुसार..पुष्पराज पटेल जी , घटना का विवरण :- मार पीठ की जा रही है थाना :- नईगढी घटना से संबंधित पता :- जुड़मनिया मुरली .तहसील :- नईगढी गाँव - जुड़मनिया मुरली. अन्य नंबर (यदि कोई हो) .9303903760 है आवेदक का कहना है की 100 नंबर पर फोन नहीं लग रहा है जिससे आवेदक को काफी समस्या हो रही है कृपया तत्काल मदद दी जाए।
निराकरण	श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच में जमीनी मामला पाया गया है शिकायतकर्ता एवं आवेदक का घर एक दूसरे के सामने बना हुआ है दोनों घर के बीच से एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते के विवाद को लेकर आपसी विवाद होता रहता है मामला जमीनी विवाद होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस्तगासा क्रमांक 162/23,163/23 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी कायम किया गया है एवं इस्तगासा तहसील में पेश है शिकायतकर्ता संतुष्ट है , श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच में जमीनी मामला पाया गया है शिकायतकर्ता एवं आवेदक का घर एक दूसरे के सामने बना हुआ है दोनों घर के बीच से एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते के विवाद को लेकर आपसी विवाद होता रहता है मामला जमीनी विवाद होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस्तगासा क्रमांक 162/23,163/23 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी कायम किया गया है एवं इस्तगासा तहसील में पेश है शिकायतकर्ता संतुष्ट है
शिकायत की स्थिति	शिकायत को बंद कर दिया गया है

प्रिंट करें

शिकायत की स्थिति

दिनांक

शिकायत की स्थिति

17 May 2023	शिकायत को बंद कर दिया गया है
17 May 2023	शिकायतकर्ता कि गयी कार्यवाही से संतुष्ट हो कर 12 अगस्त को बंद कर दिया गया है
17 May 2023	शिकायतकर्ता से सहायि अथवा असहमति की पुष्टि होम है
17 May 2023	शिकायत पर निराकरण एल 2 अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।
17 May 2023	शिकायत पर प्राप्त निराकरण का पुनर्मूल्यांकन कर संबंधित अधिकारी द्वारा दिए गए निराकरण को उच्च स्तर से मान्य कर दिया गया है।
17 May 2023	श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच में जमीनी मामला पाया गया है शिकायतकर्ता एवं आवेदक का घर एक दूसरे के सामने बना हुआ है दोनों घर के बीच से एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते के विवाद को लेकर आपसी विवाद होता रहता है मामला जमीनी विवाद होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस्तगारा क्रमांक 162/23, 163/23 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी कायम किया गया है एवं इस्तगारा तहसील में पेश है शिकायतकर्ता संतुष्ट है। श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच में जमीनी मामला पाया गया है शिकायतकर्ता एवं आवेदक का घर एक दूसरे के सामने बना हुआ है दोनों घर के बीच से एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते के विवाद को लेकर आपसी विवाद होता रहता है मामला जमीनी विवाद होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस्तगारा क्रमांक 162/23, 163/23 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी कायम किया गया है एवं इस्तगारा तहसील में पेश है शिकायतकर्ता संतुष्ट है
17 May 2023	शिकायत पर निराकरण एल 1 अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया है।
17 May 2023	शिकायत का पुनर्मूल्यांकन कर पुनः निराकरण कर उच्च स्तर पर मान्य हेतु प्रेषित कर दिया गया है।
17 May 2023	श्रीमान जी निवेदन है कि शिकायतकर्ता की शिकायत पत्र प्राप्त होने पर जांच में जमीनी मामला पाया गया है शिकायतकर्ता एवं आवेदक का घर एक दूसरे के सामने बना हुआ है दोनों घर के बीच से एक रास्ता निकलता है जिस रास्ते के विवाद को लेकर आपसी विवाद होता रहता है मामला जमीनी विवाद होने से दोनों पक्षों के विरुद्ध शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु इस्तगारा क्रमांक 162/23, 163/23 धारा 107, 116(3) सीआरपीसी कायम किया गया है एवं इस्तगारा तहसील में पेश है शिकायतकर्ता संतुष्ट है
17 May 2023	शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि : आवेदक का कहना है की पुलिस के द्वारा दबाव दिया जा रहा है की शिकायत बंद करवाने का जिससे आवेदक को समस्या हो रही है
17 May 2023	शिकायत निराकरण हेतु (एल2) अधिकारी है
17 May 2023	निराकरण अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि में कार्यवाही ना करने के कारण शिकायत (एल2) अधिकारी को परिवर्तित किया जा रहा है
16 May 2023	Sikyat par jach jari hai
23 Apr 2023	शिकायत निराकरण हेतु (एल-1) अधिकारी है
23 Apr 2023	शिकायत को संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर दिया गया है।
20 Apr 2023	शिकायत चपनित अधिकारी के कार्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है अतः पुनः उचित अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा
20 Apr 2023	शिकायतकर्ता से शिकायत के सम्बन्ध में लिए गए फीडबैक अनुसार शिकायत पर धाने से कार्यवाही चाही है इस कारण शिकायत आपको प्रेषित की जा रही है। शिकायत पर डायल 100 से कोई कार्यवाही लंबित नहीं है। धाना प्रभारी नईगढ़ी शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत पर विधिसम्मत कार्यवाही कर शिकायत का निराकरण अपने स्तर पर ही करना सुनिश्चित करें। यदि बिना प्रभावी कार्यवाही किये शिकायत को कार्यक्षेत्र से बाहर किया गया तो सम्बंधित के विरुद्ध सख्त कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।
20 Apr 2023	शिकायतकर्ता पुष्पराज पटेल के मोबाइल नंबर 9303903760 पर फोन कर संपर्क किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि पारिवारिक विवाद हो गया था इस कारण शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर से डायल 100 सर्वर पर चेक किया गया शिकायत दिनांक को डायल 100 पर कोई सूचना प्राप्त होना नहीं पाया गया। शिकायतकर्ता पुष्पराज पटेल से शिकायत के सम्बन्ध में फीडबैक लिया गया उनके द्वारा बताया गया कि आरोपी यशोदा पटेल, सुगमी पटेल, रीना पटेल एवं नेहा के विरुद्ध धाना नईगढ़ी में इंदरपरी पटेल द्वारा FIR दर्ज करायी गयी थी पर अभी तक धाने से आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है विवेचना नहीं की जा रही है। मैं धाने से कार्यवाही चाहती हूँ शिकायत धाने भेज दी जाए मुझे डायल 100 की आवश्यकता नहीं है डायल 100 की कार्यवाही से संतुष्ट हूँ। शिकायतकर्ता द्वारा धाने में दर्ज FIR पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण शिकायतकर्ता ने असंतुष्टि जाहिर की है।
08 Apr 2023	शिकायत निराकरण हेतु (एल2) अधिकारी है
08 Apr 2023	शिकायतकर्ता की असंतुष्टि पर शिकायत उच्च लेवल अधिकारी को भेजी जा रहा है
08 Apr 2023	आपकी शिकायत का निराकरण अधिकारी द्वारा अपूर्ण दिया गया है। शिकायतकर्ता की असहमति के आधार पर शिकायत उच्च स्तर पर प्रेषित की जा रही है। शिकायतकर्ता का कहना है की अभी तक कोई निराकरण प्राप्त नहीं हुआ है शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण किया जाये।
05 Apr 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
05 Apr 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
04 Apr 2023	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए प्रयास किया गया, शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।

	शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिष्कार कॉल पर प्रवास किया गया शिकायतकर्ता से संपर्क नहीं हो पाया है।
27 Mar 2023	शिकायतकर्ता से सहायता अथवा अस्वहमति की ग्राहक प्रस है
07 Apr 2023	शिकायतकर्ता से विगत 6 दिनों संपर्क करने की कोशिश की जा रही है परन्तु उनके द्वारा कॉल नहीं उठाया जा रहा है . दुकी शिकायतकर्ता से सम्पर्क का कोई और माध्यम नहीं है , एव हर रोज़ नए भी प्रतीत होता है की शिकायतकर्ता को पुलिस हेतु नहीं बहिए। अतः यह शिकायत बंद की जाये।
02 Apr 2023	शिकायतकर्ता से समय 10:41 बजे 7049157705 से संपर्क किया गया शिकायतकर्ता ने कॉल रिसेव नहीं किया AK
01 Apr 2023	शिकायतकर्ता को L -9 डेस्क से मो न 7587602746 के द्वारा संपर्क किया लेकिन बिना जानकारी दिए फ़ोन काट दिया है
31 Mar 2023	शिकायतकर्ता कॉल रिसेव नहीं कर रहे है   ak
30 Mar 2023	शिकायतकर्ता कॉल रिसेव नहीं कर रहे है   ak
29 Mar 2023	शिकायतकर्ता कि सूचना पर ड्रवैट नं P23059006083 - RIGHTS - TRESSPASS समय 28/02/23 16:21:40 धाना Naigarha जिला रीवा से टायल-100 वाहन ने ATR में जानकारी दी है की caller na bataya ki vivad sant ha caller ka report krna aaya ga एव फरियादी को L1 डेस्क से संपर्क किया तो संपर्क नहीं हो रहा है।
27 Mar 2023	P23059006083 - RIGHTS - TRESSPASS - - शिकायतकर्ता कॉल रिसेव नहीं कर रहे है।
26 Mar 2023	शिकायत निराकरण हेतु (ऐल1) अधिकारी है
26 Mar 2023	शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 कॉल सेंटर के माध्यम से दर्ज की गयी है।

## विभाग के अन्य पोर्टल

विषय में

श्री मान चाना प्रभासी महेन्द्र  
चाना गडगढी जिणा बीए (कण्ठ)  
विषय- रिपोर्ट दर्ज करवाने के सबब में  
अपेक्षित पत्र

महोदय

निवेदन है की प्रार्थिया स्टू  
परी पेटेल 10 भोली बाल पेटेल उरु 22  
वर्ष निवासी ग्राम जुज्जानिया कुरली की  
रहने वाली है आज दिनांक 26.3.2023  
को समय चरि बजे के लगभग प्रार्थिया  
स्टू रफ 2बी थी उसी समय पानी बरसने  
लागा जिस कारण कार में पानी भर गया  
और लगी यशोदा पेटेल 10 राम पराग भाई  
भेद पानी को डर प्रार्थिया के द्वार के स्ट  
तरफ पानी बहने लगी तब प्रार्थिया यशोदा  
के बोली भेरी स्ट लक्ष्मी है इधर पानी मत  
बहाने इसी बात पर यशोदा पेटेल वाली  
देने लगी एवं भवान दे अरु सुवर्गी 10 सखतान  
पेटेल, लपर 10 बबदुर पेटेल, सीमा 10 रजि कर्णर  
भेदवा 10 बबदुर पेटेल, लिबू 10 राम प्रयाग  
सब को बुला लिया एवं कार 2बी अ मारपीट  
करने वगैरे प्रार्थिया के धरवाते फाँट ले इन्हे साथ  
में मारपीट की मारपीट के कारण प्रार्थिया के सिर  
बाध में घाट भाई है

आदि किये /  
शुभम् /  
26/3/23

आदि

प्रार्थिया 9303903760

दिनांक  
26.3.2023

दिनांक  
उरुपरी पेटेल  
ग्राम- जुज्जानिया कुरली

श्री मान पुलित मन्निरीसुत म्हेदप

श्रीका जोन श्रीका (क.प्र.)

विषय - नईगली धाना मे पदार्थ आरक्षक मानेखान द्वारा जांच  
आपत लेने हेर राखी देने खत मेरे विरुद्ध किए  
गई भूरी कार्रवाई में ब्लेड मेल किए जाने के  
सम्बन्ध में।

सहोदप,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं नन्द कुमार तिवारी निवासी  
ग्राम कोर पोठ सोनबर्षी की रहने वाला हूँ मेरा थाना -  
नईगली है जिला-श्रीका है।

दिनांक 12/02/23 को मेरे घर में अज्ञात पुलित बलके  
द्वारा आरक्षक मानेखान द्वारा तलाशी ली गई जिसकी वही  
सूचना मुझे नहीं थी तलाशी के दौरान मेरे घर से 5 लीटर  
पेट्रोल जो मोटरलायक के उपकरण हेर राखा था बरामद किए  
ओर मुझे तथा मेरे दो पोते तथा पोलो के पञ्जूर धाना  
नईगली में ले गए जहाँ पर मेरे साथ आरपीए गालीगैलोन  
अपवही किए।

दिनांक मेरे विरुद्ध पेट्रोल पाने की प्रकरण न बनाकर  
शरान (दारु) की केस बना दिए ओर भूरी प्रकरण  
कमक कर लिए।

शेक के अतिवृत्त व्यक्ति की पुत्र तिवारी तिवारी जी  
जो कि सामाजिक व्यक्ति हैं उनसे मेरे पोते ने फोन  
पर बात का उक्त धाना की जानकारी दी। जिसके  
परन्तत ही तिवारी जी ने धाने में मानेखान की सिफारश  
किया तो पता चला कि प्रकृतिक के लिए ले गए  
हैं शीशी देर के दोउ देगे। दिनांक 3-4 वषरे बाद  
जानि मे पुनः फोन कर मानेखान जी ने बताया कि  
उन्हें किसी को धाने मेजक बुला लीजिए इनकी  
द्वारा भी की कैसे केस न लगाकर शरान की प्रकरण  
बना दिया है।  
नैरकमारा



जिसकी आँखियाँ रिक्कार्डिंग आवेदन के साथ संलग्न हैं।

उक्त घटना के सम्बन्ध में मेरे द्वारा DPOF मध्य प्रदेश एवं पुलिस इन्स्पेक्टर महोदय रीवा की मान् पुस्तिका क्र. निदेशक महोदय गोपाल व गान्धीप ग्रहणकी महोदय गोपाल के यहां मुझे प्रेषित की गई थी जिसके सम्बन्ध में जांच सम्पन्न है। अभी तक कोई बर्तनाही मानवान के ऊपर नहीं की गई है।

वर्तमान में मानवान जी धारा नईगढ़ी के ही पदस्थ हैं जो कि आपसे दिन बुझे व मेरे परिवार के सदस्यों के देते हैं कि जांच वापस करा जाए स्वीकार कर लो कि मेरे पास से शराब बरतक हुई है जो गुणवत्ता होगी वह शराब में दे दूंगा ऐसा उन्होंने मुझसे कहा कि कठगंज में बुलाकर कहा है। मैंने कहा कि जब आपको पेट्रोल मिला तब आप मेरे ऊपर झूठा आरोप धारण करके बना दिए समाज के मैं एक सह व सामाजिक-व्यक्ति होने के कारण मुझे दिखाने लायक नहीं है। अंत बार-बार मानवान द्वारा मुझे पोषाण किया जाता है। ऐसे आरक्षक के कारण केरा कीना हशक है जिन्हें नईगढ़ी में ही रखकर पोषाण कराया जा रहा है।

अस्तु श्री मान् जी के सम्बन्ध आवेदन प्राप्त कर निवेदन है कि आरक्षक मानवान जो नईगढ़ी जिला रीवा में पदस्थ हैं उनके विरुद्ध बर्तना से संबंधित जांचों व आवेदनों पर बर्तनाही करते हुए मेरे जान माल की सुरक्षा भी जाय तथा मेरे विरुद्ध झूठे बर्तना परचरण में जो प्रसाप है तो मानवान द्वारा एलेक्ट्रिकलिंग बंद कराते भी अनुरोध की जाय।

दिनांक 17/7/23  
संलग्न-आरक्षक मानवान जी से व्यतिथित

नन्द कुमार तिवारी  
ग्राम बोर पोस्ट सोनवर्षा

सिपाई

देवी माग थाणा पुवारी मंडिर  
थाणा. गडगढी जिणा. सीपा (म.प.१०)

विषय: रिपोर्ट वरि करवणे व संपर्क  
अविष्ण पत्र

मंडिर

निवेदन ही मी मंगळसूर

संश्लिष्ट ६१० उमता प्रवाह अस्तित्व ५५५  
निवासी आम्ही बेगल ७५२ आ रवणे पागाह  
कर दिनांक ५.१.२०२३ वी बात व जे वी काम  
डाडी उवा निवासी अस्तित्व मित्रा वी दसा वी  
असंख्य अन्य आम्ही मीय सयसंग ये मीरे  
हर आये और मेरे लडके के जग कर रहे  
पाप के गने और काम अपना आगे ले पने  
मुझे सीपा पलाग ही तय मेरा लडा मगा  
ऊरने जगा ही वही पर अंशित मित्रा सूर  
असंख्य अन्य असाय सयंगंगा विये और जवकी  
माणी गलीच विये तय तपु मे सूर सूर  
परिवार वी भाग पडुए जये ही ख्या वी  
असंख्य गाव पावे आ मये वप अत वी  
वही मी भाग विये अंशित वी गाडी वी वपर  
m.p.१० वर ०१७० या जो वी मी मी वी

पुन

५/१/२३


ये काम जगा कर पती अकल गाडी वी सूर  
मेरे लडके सूर - देवो वी अति गगने वी वी  
रासने मे जात वी मने वी वी  
विये जगी माग जी से निवेदन ही अमपदी वी वी  
- जय २५/२/२३ २१/१/२३

सिपाई  
५/१/२३

आम बेगल ७५२

प्रति,

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय  
जिला रीवा म.प्र.



विषय:-प्रार्थी कुंज बिहारी तिवारी के विरुद्ध आरोपी अंकित मिश्रा व दयानंद मिश्रा द्वारा थाना नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. मे फर्जी रिपोर्ट दर्ज करवाने एवं अन्य षडयंत्रकारी व राजनैतिक विरोधियों के साथ मिलकर गंभीर अपराध मे झूठे तरीके से फंसाने हेतु साजिश रचे जाने बाबत।

महोदय,

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कुंज बिहारी तिवारी पिता स्व. श्री शीतला प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम पो. रामपुर थाना नईगढ़ी का रहने वाला हूं। मैं अगस्त क्रांति मंच जो एक सामाजिक सेवा का संगठन है उससे भी जुड़ा हुआ हूं। जनता की आवाज व समस्या के लिये संघर्ष करता रहता हूं। मेरी पत्नी श्रीमती ममता तिवारी वर्तमान मे जनपद पंचायत नईगढ़ी की अध्यक्ष है। मैं नईगढ़ी थाना क्षेत्रान्तर्गत व मेरी पत्नी सहित ग्राम चिल्ल, बेलहा, बदौआ, इटौरा, हिनौती, अलौहा व बहेरा से चुनाव लड़े थे। मैं नशा, अपराध व भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रायः लड़ाई लड़ता रहता हूं। इन सब कारणो से मेरी बढ़ती लोकप्रियता व समाज सेवा के कारण मेरे कई राजनैतिक प्रतिद्वंदी मुझे झूठे मुकदमे व गंभीर अपराध मे फंसाने तथा मेरे ऊपर व मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला करवाना चाहते है। दिनांक 08.02.2023 को सायं लगभग 6:30 बजे शासन की योजना विकास यात्रा नईगढ़ी जनपद क्षेत्र मे चल रही थी जहां पर मेरी पत्नी व मैं भी ग्रामवासियो को योजनाओ का लाभ दिलाने हेतु गया हुआ था। उसी बीच अंकित मिश्रा पिता दयानंद मिश्रा तथा दयानंद मिश्रा पिता रामजियान मिश्रा ग्राम बेलहा थाना नईगढ़ी जिला रीवा मंच के पास आकर मुझे भद्दी-भद्दी मों-बहन की गालिया देना शुरू कर दिया। मेरे और आरोपीगणो के बीच कभी किसी तरह की बाते या चुनावी वादे नही थे फिर भी वह जबरदस्ती पूर्व नियोजित तरीके से मुझे गालिया देने लगा तथा मंच पर कुर्सी



फेकने लगा। मैं उसे जब समझाने उसके पास गया तो वह मेरे साथ मारपीट करने लगा। जिससे मेरे पैर, हाथ व शरीर में कई जगहें चोटें भी आईं। अंकित मिश्रा के पिता दयानंद मिश्रा वहां पर लाठी लेकर मौजूद थे उन्होंने भी हमला करने का प्रयास किया। एक शासकीय कार्यक्रम आयोजित था और एक लोक सेवक के नाते जनपद अध्यक्ष नईगढ़ी व अन्य कर्मचारीगण वहां पर मौजूद थे। जिसमें व्यवधान उत्पन्न करते हुये आरोपी अंकित मिश्रा व उसके पिता दयानंद मिश्रा ने काफी उत्पात मचाया। कुर्सी फेंककर अध्यक्ष के ऊपर हमला किया। हम लोग वहां से जान बचाकर निकले और थाने में पहुंच कर मैंने दिनांक 09.02.2023 को उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखवाया। किन्तु तब तक अंकित मिश्रा भी वहां योजनाबद्ध तरीके से पहुंच कर मेरे विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करा चुका था और राजनैतिक दबाव व शासन सत्ता के कारण मेरे ऊपर भी 323, 294, 506 आई.पी.सी. का झूठा अपराध दर्ज कर लिया गया था।

उक्त आरोपी अंकित मिश्रा द्वारा स्वयं अपने सोशल मीडिया के फेसबुक, इन्स्टा व व्हाट्सअप एकाउन्ट के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि आज मैंने कुंजबिहारी तिवारी को लात घूसो से मारकर चिल्ल से भगा दिया हूं। इतना ही नहीं उसने खुलेआम जान से मारने की चुनौती भी दिया और अपने अन्य साथियों को भी इस घटना को शेर करने व साथ देने के लिये कहा। जिसका फोटो प्रिंट निकाल करके जांच हेतु थाना प्रभारी नईगढ़ी को उसी समय दे दिया हूं और मेरे ऊपर शरीर में आई हुई चोटें व घटना की सत्यता के आधार पर आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है।


किन्तु उक्त आरोपीगण के अंदर एक भी कानून व पुलिस का भय नहीं है। खुलेआम सरहंगीपूर्वक गाली गलौज दे रहे हैं और जान से मारने पर आमादा हैं। एक सोची समझी रणनीति व योजनाबद्ध तरीके से मुझे व मेरे साथियों को गंभीर अपराध में फंसाने की नियत से वह कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहीं अपने घर के पास आग लगाकर गाली गलौज कर रहे हैं,

कही फेसबुक में लाइव आकर गाली गलौज कर रहे हैं और खुलेआम उसी थाने में जाकर पुनः फर्जी रिपोर्ट लिखाने का प्रयास कर रहे हैं।

उक्त आरोपीगण आदतन अपराधी हैं। यह किसी भी समय बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इनका एक गिरोह है जो कोरेक्स, शराब व अन्य अवैध मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। समाज में अशांति फैल रही है। सीधे साधे व सामाजिक व्यक्तियों का जीना मुश्किल कर रखा है। इस परिस्थिति में उक्त आरोपीगण अंकित मिश्रा पिता दयानंद मिश्रा निवासी ग्राम बेलहा थाना नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र. व उसके पिता दयानंद मिश्रा पिता रामजियावन मिश्रा को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक है।

अस्तु श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर विनय है कि उपरोक्त प्रकरण में जांच कराकर मेरे ऊपर दर्ज झूठी एफ.आई.आर. में खात्मा लगवाते हुये मेरे विरुद्ध पुनः उक्त आरोपी द्वारा झूठी एफ.आई.आर. राजनैतिक दबाव व षडयंत्र के तहत न दर्ज की जाय जिस हेतु थाना प्रभारी नईगढ़ी को निर्देशित करने व निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही कराने की महान कृपा की जाय।

दिनांक:- 13/12/2023


  
प्रार्थी

कुंज बिहारी तिवारी  
पिता स्व. श्री शीतला प्रसाद तिवारी  
निवासी ग्राम पो. रामपुर थाना नईगढ़ी  
जिला रीवा म.प्र.  
मो. 9179335791

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. माननीय गृहमंत्री महोदय, म.प्र. शासन, भोपाल।
3. श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, पुलिस मुख्यालय भोपाल।
4. श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक महोदय, रीवा जोन रीवा म.प्र।
5. ✓ श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना नईगढ़ी जिला रीवा म.प्र।

को प्रेषित कर निवेदन है कि विधि अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करे।



श. वि. निवेदन  
श. वि. निवेदन  
श. वि. निवेदन

विषय - FIR दर्ज करने का प्रयास।

महोदय,

निवेदन है कि दिनांक 01/12/23 के राय 6:30 PM पर

नईगढ़ी शाना उत्तरांचल विकास गांव में मेरा पुत्र शाना

उत्तरांचल विकास यात्रा से वापस आ रहा था

जिसमें नईगढ़ी के जनपद अक्षय मकान नंबर 109 का

शासकीय अधिकारी कर्मचारी अक्षय में उपस्थित थे उसी

की अक्षय मित्रा पिता दयानंद मित्रा उम्र लगभग 26 वर्ष

तथा दयानंद मित्रा पिताजी जियानन उम्र 55 वर्ष निवासी

शाना नैलरा शाना नईगढ़ी जिला-शेवा-उत्तरांचल के

अधी-बाणी कर शरानमीन के लिए पैसा मांगने लगा तथा

दवाव बनाने लगा। फीफाडी द्वारा पैसा देने के लिए

या मां वहां ही जाकर गाली देने लगा तथा जनपद

अक्षय की तरफ प्रोत्साहित करने के अक्षय के

उनके अक्षय दुसी देकर हमला किया जिससे जनपद

अक्षय प्रोत्साहित बच गई और जाने शासकीय अक्षय

में वाधा पहुंचाई तथा दोनों ने फीफाडी के साथ मारपीट

की और स्वयं अपने हवीकरण हुए शेरालकीया

में वापस किया है जिसकी प्रति आवेदन के साथ

संलग्न है। जनपद अक्षय लोक सेवक है और उनका

हमला किया गया और सरकारी अक्षय में वाधा उत्पन्न

प्रोत्साहित व हिंसा था और यह सुनियोजित तरीके

से किया गया। हमले में हमें जमीर चोर आसी है।

अतः निवेदन है कि आरोपीगण अक्षय मित्रा दयानंद मित्रा

द्वारा जनपद अक्षय (लोकसेवक) पर शासकीय अक्षय में

द्वारा प्रोत्साहित हमला करने शासकीय अक्षय में वाधा

उत्पन्न करने ताड़ फाड़ करने कारण पीने के लिए अश्लीलता का  
 पैसा मागने फीस को दे सारा मारपीट एवं गाली गलौज  
 करने की अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज  
 कर अभियोगों की कार्यवाही करने की हवा दें।

फीस को हरा धरना की तत्काल सूचना उसी समय 10:34 बजे  
 उपनिरीक्षक श्री जगदीश पांडव के मोबाइल नम्बर (7828035-  
 529 एवं SDM मऊगंज के फोन नम्बर 10:03 बजे को काइल  
 नम्बर 9425186859 एवं तहसील डी महोदय नईगढ़ी के  
 मो 877001504 पर डी जे कोर उन्होंने थाने  
 में FIR दर्ज करने हेतु कहा है।

दिनांक 9/2/23

नाम - कुंज निहारी तिवारी

प्रतिलिपि

थान - पो ० शम्भु  
 थाना - नईगढ़ी  
 जिला - रोवा (म.प्र.)

① मास्तीप मुख्यांश्री महोदय म.प्र. शासन  
 भोपाल

② मुख्या सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल

③ पुलिस महानिदेशक पुलिस भोपाल भोपाल

④ पुलिस महानिरीक्षक महोदय रोवा संभार रोवा


⑤ पुलिस अधीक्षक महोदय जिला-रोवा (म.प्र.).....

की वे आगे प्रेषित कर निवेदन है कि  
 आरोपी गणों के विरुद्ध FIR दर्ज कर  
 बिना कसूरों कार्यवाही करने का इरादा

← Posts



ankit\_mishra\_307



Liked by praveen\_tiwari\_love and 46 others



ankit\_mishra\_307

Jaa Jile Apni Zindagi Ham Ne Galti Kar Diya Apne Dill





# JI Chacha

Kunj bheri tiware ko aij lot guse  
 se agot  
 Hamre chill pachanyot mai  
 bahut bahut badaye hamre  
 bade bhai  
 Ankit mishar isa neta kis kaam  
 ka jo adami ke upar akrmad  
 karta hai 😞😞

⚠️ Ankit chacha isv how ⚠️  
 Bs sath do in jaise netao ko  
 kutta bana dunga

Send message





# JI Chacha

Kunj bheri tiware ko aaj lat guse  
 se agot  
 Hamre chill pachanyat mai  
 bahut bahut badaye hamre  
 bade bhai  
 Ankit mishra isa neta kds kaam  
 ka jo adami ke upar akrmad  
 karta hai 😞😞

👤 **Ankit chacha isv howr** 👤  
 Bs sath do in jaise netao ko  
 kutta bana dunga

Send message





← satish\_\_mishra\_\_302



19 Posts

703 Followers

230 Following

अपराधी नईगढ़ी



Followed by vipultiwari826, praveen\_tiwari\_love and 7 others

Follow

Message



Highlights





Kunj bheri tiware ko ajj lat guse  
se sogat  
Hamre chil pachanyat mai  
bahut bahut badaye hamre  
bade bhai  
Ankit mishar isa neta kis kaam  
ka jo adami ke upar akrmad  
karta hai 😞😞

@ankit\_mishra\_307

👤👑 Ankit chacha jay ho 👑👤

Send message



← prahlad\_\_mishra\_\_rewa ⋮



51 Posts

846 Followers

191 Following

Prahlad\_mishra\_rewa

🌐 🌐 5julai

!! खुल कर जीना है तो किसी पर मरना मत X !!

#attidute...no Xlove 🐱

!! 🌟 Neme to suna hi hoga 🌟 !!

See translation

🔗 Facebook profile and 1 other link

👤 Followed by ankit\_mishra\_307, diwan\_bhole\_ka\_ and 8 others

Follow

Message



!! bhai log !!



अपना व्यापार ...

